www.dhyeyaias.com

अगस्त 2020 | अंक 03

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 रूस–भारत–चीन (RIC) त्रिपक्षीय समूह

रचनात्मक संवाद की आवश्यकता

2 कोविड–19 : भारतीय महानगरों के लिए चुनौती

3 पितृसत्तात्मकता और कोविड–19: लैंगिक संवेदनशीलता की माँग

4 तालिबान युद्धविराम : अफगानिस्तान में शांतिवार्ता की एक नयी पहल

5 लोकमान्य तिलक : स्वराज से आत्मनिर्भर भारत तक

6 डब्ल्यूटीओ की सार्थकता : वैश्विक व्यापार के बेहतर विनियमन की जरूरत

7 पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना मूल्यांकन मसौदा 2020: एक अवलोकन

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

क़ुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

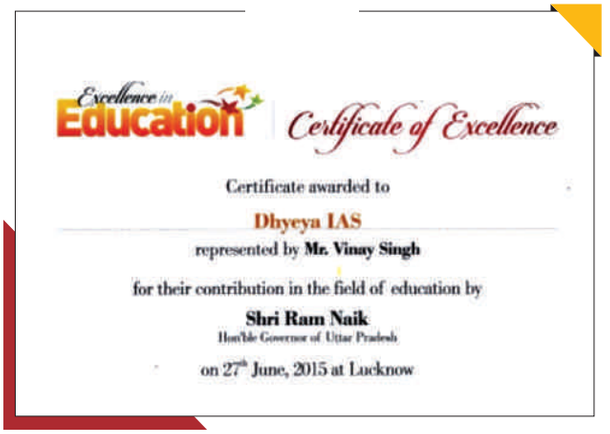

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येय IAS
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

अगस्त ⊙ 2020 | अंक ⊙ 03

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ. ➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक ➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक ➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक ➢ आशुतोष सिंह

संपादक ➢ जीत सिंह, ➢ अवनीश पाण्डेय, ➢ ओमवीर सिंह चौधरी, ➢ रजत झिंगन

संपादकीय सहयोग ➢ प्रो. आर. कुमार

मुख्य लेखक ➢ अजय सिंह, ➢ अहमद अली, ➢ स्वाती यादव, ➢ स्नेहा तिवारी

लेखक ➢ अशरफ अली, ➢ गिरराज सिंह, ➢ हरिओम सिंह, ➢ अंशुमान तिवारी

समीक्षक ➢ रंजीत सिंह, ➢ रामयश अग्निहोत्री

आवरण सज्जा एवं विकास ➢ संजीव कुमार झा, ➢ पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति ➢ गुफरान खान, ➢ राहुल कुमार

प्रारूपक ➢ कृष्ण कुमार, ➢ कृष्णकांत मंडल, ➢ मुकुन्द पटेल

कार्यालय सहायक ➢ हरीराम, ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–15

- रूस–भारत–चीन (RIC) त्रिपक्षीय समूह : रचनात्मक संवाद की आवश्यकता
- कोविड–19 : भारतीय महानगरों के लिए चुनौती
- पितृसत्तात्मकता और कोविड–19: लैंगिक संवेदनशीलता की माँग
- तालिबान युद्धविराम : अफगानिस्तान में शांतिवार्ता की एक नयी पहल
- लोकमान्य तिलक : स्वराज से आत्मनिर्भर भारत तक
- डब्ल्यूटीओ की सार्थकता : वैश्विक व्यापार के बेहतर विनियमन की जरूरत
- पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना मूल्यांकन मसौदा 2020: एक अवलोकन

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 16–22

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 23–24

7 महत्वपूर्ण खबरें 25–29

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 30

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 31

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 रूस–भारत–चीन (RIC) त्रिपक्षीय समूह : रचनात्मक संवाद की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- 23 जून 2020 को रूस-भारत-चीन (Russia-India-China- RIC) समूह के विदेश मंत्रियों ने वर्चुअल बैठक में भाग लिया। यह बैठक ऐसे समय में आयोजित की गयी जब 15 जून को गलवान घाटी (Galwan Valley) में चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में कम-से-कम 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। कुछ जानकारों का मानना था कि आरआईसी की इस बैठक में भारत का शामिल होना तर्कसंगत नहीं था।

परिचय

- आरआईसी ने पहली बार 1990 के दशक के अंत में येवगेनी प्राइमाकोव के नेतृत्व में "पश्चिमी गठबंधन के प्रतिसंतुलन" के रूप में आकार लिया। प्राइमकोव को ही आरआईसी के विचार का श्रेय दिया जाता है। वे एक रूसी राजनेता और राजनयिक थे जो 1998 से 1999 तक रूस के प्रधानमंत्री भी रहे।
- रूस द्वारा इस समूह की स्थापना भारत के साथ पुराने संबंधों के नवीनीकरण और चीन के साथ नई दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। RIC समूह वाले देश पूरे विश्व के 19 प्रतिशत भूभाग के अधिकारी हैं और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 33 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं।
- तीनों देश परमाणु शक्ति सम्पन्न हैं साथ ही रूस और चीन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं, जबकि भारत वर्तमान में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है।

आरआईसी के संबंध में चिंताएं

- आरआईसी परस्पर सहयोग और आपसी हित के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समन्वय के उद्देश्य को प्राप्त कर पाने में सफल नहीं रहा है। वर्तमान में भारत और चीन के आरआईसी के सिद्धांतों के अलग रूख देखने को मिल रहे हैं।
- समूह के भीतर शक्ति संतुलन में भी बदलाव आया है। एक ओर भारत इंडो-पैसिफिक में जापान-अमेरिका-भारत और क्वाड जैसे अन्य बहुपक्षीय महत्व को अधिक तरजीह दे रहा है, तो दूसरी ओर चीन ने अपने पड़ोस में तेजी से आक्रामक नीति अपनाई है।
- जिस तरह से चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने प्रयास कर रहा है उसे भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इससे भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय के साथ बहुपक्षीय सम्बन्धों में लगातार प्रतिकूलता बढ़ती जा रही है।

आरआईसी और भारत-प्रशांत सहयोग

- भारत के लिए इंडो-पैसिफिक आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि के साथ-साथ भूराजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान रखता है।
- भारत की इंडो-पैसिफिक पहल को चीन विरोध की नीति के हिस्से के रूप में देखता है। रूस का विदेश मंत्रालय इंडो-पैसिफिक पहल को चीन और रूस के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन में भारत और जापान को शामिल करने की अमेरिकी चाल समझता है।
- रूस को यह समझना चाहिए कि भारत की इंडो-पैसिफिक पहल से पूर्वी रूस

के साथ भारत के आर्थिक संबंधों और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे की सक्रियता को आगे बढ़ाया जा सकता है। इंडो-पैसिफिक पहल से चीनी प्रभुत्व को कमजोर किया जाना भारत-रूस संबंध के साथ-साथ राष्ट्रपति पुतिन की ग्रेटर यूरेशिया की अवधारणा के भी अनुकूल है।

- यद्यपि वर्तमान भारत-चीन गतिरोध ने भारत को यू.एस. के साथ साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। जो वर्तमान परिस्थितियों में अपरिहार्य भी है, लेकिन विदेश नीति समयानुसार परिवर्तित होती है।

आरआईसी और भारत-चीन सीमा विवाद

- भारत-चीन विवाद ने संभावित रूप से रूस के लिए एक मुश्किल स्थिति उत्पन्न कर दी है। एक तरफ भारत है जो उसका पारंपरिक साझेदार होने के साथ-साथ एक आकर्षक हथियार बाजार का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो दूसरी ओर चीन में है जो पूर्व में इसका नया लेकिन अधिक शक्तिशाली मित्र है। भारत, चीन और रूस तीन अहम संगठनों के सदस्य हैं और रूस के पास अभी तीनों की अध्यक्षता है। ये संगठन आरआईसी (रूस, भारत और चीन), ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) हैं।
- रूस फिलहाल इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर चीन-भारत के बीच तनाव जारी रहता है तो इन तीनों संगठनों का महत्व कम हो सकता है। रूस मानता है कि ये तीनों संगठन दुनिया में शक्ति के संतुलन के लिए जरूरी हैं। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि रूस के सत्तारूढ़ वर्ग में चीन को लेकर कुछ असहजता है। असहजता की वजह कोरोना वायरस, आर्कटिक क्षेत्र में जासूसी के आरोप, और यूक्रेन पर चीनी रुख है। इन वजहों से रूस दिल्ली के साथ संबंध बेहतर करने के प्रयास कर सकता है।
- जानकारों का मानना है कि चीन आर्कटिक क्षेत्र में अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए योजनाएं बना रहा है जिनकी वजह से रूस असहज होता दिख रहा है। इससे पहले दोनों लोग साथ काम कर रहे थे।
- रूस की पश्चिमी सीमा पर चीन बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और वह इसमें यूक्रेन सरकार के साथ काम कर रहा है। रूस और यूक्रेन के मौजूदा संबंधों के चलते चीन के इस कदम ने रूस को नाराज कर दिया है। रूसी मामलों के जानकारों का मानना है कि इस तरह के मामलों पर सामाजिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं होती है लेकिन रूस और चीन के बीच साझेदारी संभवत: अपनी हद तक पहुंच चुके हैं।
- इस महामारी ने रूस में एक स्वास्थ्य संकट पैदा करने के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ (विक्टरी डे) मनाए जाने की योजनाओं को भी नुकसान पहुंचाया है. वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जब कोरोना वायरस की शुरुआत की जांच करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया तो इसे लाने वाले देशों में रूस भी शामिल था।

आरआईसी का महत्व

- रूस-भारत-चीन समूह के कई मायने में महत्व है। भारत शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का सदस्य है, जो रूस और चीन द्वारा संचालित है और इसमें चार मध्य एशियाई देश भी शामिल हैं।
- भारत के लिए मध्य एशिया रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। एससीओ की पाकिस्तान की सदस्यता और ईरान और अफगानिस्तान के संभावित प्रवेश (सदस्य राज्यों के रूप में) ने भारत के लिए एससीओ के महत्व को बढ़ा दिया।
- चीन का बढ़ता प्रभाव रूस-चीन के अनौपचारिक सम्बन्धों का भी परीक्षण कर रहा है कि किस प्रकार रूस इस क्षेत्र में राजनीतिक-सुरक्षा मुद्दों को संभालता है।
- ईरान, अफगानिस्तान से मध्य एशिया तक पश्चिमी भारत से समुद्री/सड़क/रेल लिंक के लिए चल रही भारत-ईरान-रूस परियोजना रूस और चीन के साथ-साथ मध्य एशिया में भारत की प्रभावी उपस्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
- इसके अलावा ब्रिक्स संगठन भी इन तीनों देशों को एक साझा मंच प्रदान करता है। जहाँ इन तीनों के अतिरिक्त ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे महत्वपूर्ण देश हैं।

आगे की राह

- भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और आरआईसी बातचीत के माध्यम से भारत और चीन के बीच मतभेदों के समाधान के लिए एक मंच हो सकता है। ये तीनों देश बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के पक्षधर हैं अत: इन्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित होने के साथ-साथ एक दूसरे की संप्रभुता का भी अनिवार्य रूप से ध्यान रखना होगा है, तभी यह संगठन अपने उद्देश्य में सफल होगा।

सामान्य अध्ययन पेपर – 2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. भारत और चीन के बीच के मतभेदों के समाधान में आरआईसी किस प्रकार सहायक हो सकता है? टिप्पणी करें

02 कोविड-19 : भारतीय महानगरों के लिए चुनौती

चर्चा का कारण

- कोविड-19 संकट के दौरान महानगरों में संक्रमितों की संख्या में असामान्य वृद्धि देखने को मिली है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद देश COVID-19 के लगभग आधे मामलों के लिए उत्तरदायी हैं। कहीं न कहीं अनियोजित शहरीकरण कोरोना की प्रभावशीलता को और बढ़ा रहा है।

भारत की स्थिति

- कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा देखने में आया है कि भारत के महानगरों में कोरोना संक्रमण की काफी भयानक स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे महानगरों में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या पूरे भारत का लगभग 50% समेटे हुए है।
- ध्यातव्य है कि 2018 में भारत का जन स्वास्थ्य खर्च, जीडीपी का 1.28% था। विश्व बैंक के अनुसार, 2017 में भारत की 62.4% जनसंख्या ऐसी थी जिसके पास कोई स्वास्थ्य बीमा कवर नहीं था।
- इसका तात्पर्य यह हुआ कि इनमें से कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित होता है तो उसे इसका खर्च स्वयं वहन करना पड़ेगा।
- विश्व बैंक के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर 2017 में आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य खर्च (out-of-pocket health expenditure) का प्रतिशत 18.2% था, जबकि भारत का 62.4% था।
- आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य खर्च का तात्पर्य ऐसे स्वास्थ्य खर्च से है, जिसे जनता प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेविंग (पॉकेट) से वहन करती है अर्थात जिस पर किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा नहीं होता है।
- भारत में डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात 1: 1457 है जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसे 1:1000 होना चाहिए।

महानगरों में संक्रमितों की संख्या में वृद्धि के कारण

- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जिस महानगर की जनसंख्या 9 मिलियन से ज्यादा है वहां पर महानगरीय योजना समिति (एमपीसी) का गठन किया जाएगा।
- जिसका कार्य केंद्र, राज्य और स्थानीय प्राथमिकताओं (यथा-स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) में सामंजस्य स्थापित करना, स्थानीय स्तर पर होने वाले कार्यों के मसौदे को तैयार करना आदि होगा।
- परन्तु इसके विपरीत यह देखने में आया कि अधिकांश महानगरों में महानगरीय योजना समिति का गठन नहीं किया गया है और यदि किया भी गया है तो वह अपने कर्तव्यों का वहन भली-भांति नहीं कर रही है।
- एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम (ASICS) की वार्षिक रिपोर्ट 2017 के अनुसार 18 में से 9 ऐसे शहर हैं जिन्होंने सिर्फ कागजों पर ही महानगरीय योजना समिति (एमपीसी) का गठन किया है।
- यह भी देखा गया है कि नगरपालिका की शक्तियों और स्टाफ में भी कमी रहती है। नगरपालिका के पास राजस्व एकत्रित करने की बहुत ही क्षीण शक्तियाँ होती हैं; उदाहरण के लिए-
  - बेंगलुरु की नगरपालिका अपने खर्च का 47.9%, चेन्नई 30.5% और मुंबई 36.1% अपने आय से प्राप्त करते हैं तथा शेष केंद्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त करते हैं। इस स्थिति मे नगर पालिकाओं की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
  - नगरपालिका के मेयर को कम शक्ति प्रदान की गई हैं तथा उनका कार्यकाल भी छोटा होता है, यथा-मुम्बई में 2.5 वर्ष, दिल्ली में 1 वर्ष और बेंगलुरु में 1 वर्ष इत्यादि।
  - साथ ही राज्य सरकारों द्वारा नगरपालिका के कार्यक्षेत्रों में व्यापक स्तर पर हस्तक्षेप किया जाता है।
  - इसके अलावा स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियों के मध्य सामंजस्य स्थापित न होनासाथ ही पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिकों की सहभागिता का सुनिश्चित न होना भी महामारी वृद्धि के कारणों में शामिल है।
- एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम (ASICS) के मुताबिक, मुंबई महानगर पालिका में एक लाख जनसंख्या पर लगभग 938 नगरपालिका अधिकारी हैं जो काफी कम संख्या है। वैश्विक स्तर पर देखें तो जोहान्स बर्ग में एक लाख जनसंख्या पर लगभग 2922 अधिकारी हैं तथा न्यूयॉर्क में एक लाख जनसंख्या पर 5446 अधिकारी हैं।

- मैंकिन्स की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार, अभी भारत के 54 महानगरों में भारत की जीडीपी का लगभग 40% प्राप्त होता है जो 2025 तक 69 महानगरों से जीडीपी के लगभग 50% से ज्यादा प्राप्त होने की सम्भावना है, फिर भी भारत में महानगर किसी भी विपदा से निपटने के लिए एक व्यवस्थित ढांचे का निर्माण नहीं कर रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त अन्य कारणों में मुंबई और दिल्ली की मलिन बस्तियां है ,जहां पानी की कमी है, वहां अपने हाथ धोना और शारीरिक दूरी कायम कर पाना ऐसी विलासिता है जिसे हर कोई वहन नहीं कर सकता।
- हाल के वर्षों में भारतीय शहरों में आबादी के बढ़ते घनत्व के साथ वायु की गुणवत्ता का स्तर भी कम होता गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार सबसे खराब वायु प्रदूषण वाले दुनिया के 30 शहरों में से 21 शहर भारत में हैं। इन प्रदूषित शहरों में रहने वाले लोगों में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हैं।
- जिन मेट्रो शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे खराब है उन शहरों में सबसे कमजोर इम्युनिटी है और यह सर्वविदित है कि कोरोना का सीधा संबंध हमारी इम्युनिटी से है, इस निष्कर्ष पर पहुंचना गलत नहीं कि वायु प्रदूषण के कारण कोरोनो वायरस से होने वाली मौतों का खतरा बढ़ सकता है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार वायु प्रदूषण के लगातार संपर्क में आने से न केवल कोरोना वायरस की आशंका बढ़ती है, बल्कि अन्य प्रकार की बीमारी भी घातक हो जाती है।

उपाय

- कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि को रोकने के उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं -
- महानगरीय योजना समिति (एमपीसी) का गठन किया जाए। विश्व स्तर पर, महानगरीय शहरों को शासन में विखंडन को कम करने के लिए मजबूत तंत्र के साथ एक सीधे निर्वाचित नेता द्वारा संचालित किया जाता है।
- विकसित उदाहरणों में टोक्यो महानगरीय सरकार और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में हाल के प्रायोगिक मॉडल जैसे संयुक्त प्राधिकरण शामिल हैं। भारत को वैश्विक संदर्भों से संस्थागत डिजाइन उसके संदर्भ और राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुकूल घरेलू समाधान की आवश्यकता है।
- शहरी गरीबी को दूर करने के प्रयास करने के साथ-साथ स्वच्छता व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। इस सन्दर्भ में स्वास्थ्य नीति 2017 विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी।
- किसी भी महामारी से निपटने के लिए स्थानीय स्तर की संस्थाओं का चहुमुखी सशक्तिकरण करना चाहिए। नगरपालिका में स्टाफ की संख्या में वृद्धि करने पर ध्यान देना होगा।
- हालाँकि शहरी शासन की आर्थिक स्वायत्तता बढ़ाने हेतु मुन्सिपल बांड का आरम्भ किया गया है, फिर भी इसके कार्यान्वयन में सुधार की आवश्यकता है।
- मेयर तथा मुख्यमंत्री के अलग राजनैतिक दल का होने से गतिरोध बढ़ जाता है अत: सहयोगी तथा प्रतिस्पर्धी उप संघवाद के तत्वार्थ की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि शहरी क्षेत्रों से राज्य सरकार के नियंत्रण को संविधान द्वारा विनियमित किया जाये।

आगे की राह

- पारदर्शिता, जन-सहभागिता आदि जैसे स्मार्ट गवर्नेंस के तत्वों को बढ़ावा देना होगा और एक ऐसी सभा या संगठन को स्थापित करना चाहिए, जहां पर आमजन अपनी शिकायतों को आसानी से दर्ज करा सकें।
- नगरपालिका के मेयर की शक्तियों को बढ़ाने तथा उसके कार्यकाल को कम से कम 5 वर्ष करने पर ध्यान देना चाहिए।
- स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करके एक-दूसरे के सहयोग हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।
- COVID-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ भविष्य में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं आदि के विभिन्न अन्य खतरों की एक झलक पेश करती हैं, जो भारतीय शहरों को और अधिक तनावग्रस्त करेंगी। यह समय है जब केंद्र और राज्य सरकारें एक महानगरीय प्रशासन प्रतिमान की दिशा में प्रयास करें।
- सर्वप्रथम सरकार द्वारा पाँच साल के कार्यकाल, विकेन्द्रीकृत वार्ड स्तर के शासन के साथ सशक्त मेकर्स और अंतर-एजेंसी समन्वय शामिल करना आवश्यक है उसके उपरान्त प्रशासनिक क्षमता की बढ़ाना होगा। भारत को वर्तमान महामारी का उपयोग आत्मनिरीक्षण करने के अवसर के रूप में करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर – 1

Topic:

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

सामान्य अजध्ययन पेपर – 2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. कोविड-19 के दौर मे भारत के बड़े - बड़े महानगर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? भारत सरकार को इन चुनौतियों से निपटने हेतु किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए?

03 पितृसत्तात्मकता और कोविड–19: लैंगिक संवेदनशीलता की माँग

चर्चा का कारण

- कोरोना वायरस महामारी के कारण घोषित किए गए लॉकडाउन के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश में घरेलू हिंसा के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। घरेलू हिंसा में वृद्धि यह दर्शाती है की भारतीय समाज में पितृसत्तात्मकता अभी भी विद्यमान है और कोरोना वायरस की महामारी ने इसके स्वरूप को उजागर करने का कार्य किया है।

क्या है पितृसत्ता

- पितृसत्ता अंग्रेजी शब्द पैट्रियार्की का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी में यह शब्द दो यूनानी शब्दों पैटर और आर्के को मिलाकर बना है। पैटर का मतलब है ख़ पिता और आर्के का मतलब है शासन यानी कि 'पिता का शासन। पितृसत्ता को सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व रहता है और वे उनका शोषण और उत्पीड़न करते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाएं पूरी तरह शक्तिहीन हैं या पूरी तरह अधिकारों, प्रभाव और संसाधनों से वंचित हैं। इस व्यवस्था की खास बात इसकी विचारधारा है जिसके तहत यह विचार प्रभावी रहता है कि पुरुष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ हैं और महिलाओं पर पुरुषों का नियन्त्रण है या होना चाहिए। इस व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति के तौर पर देखा जाता है।

कोरोना महामारी के दौरान कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी

- भारतीय समाज में पुरुषों को परिवार के लिए कमाने वाला मानने की धारणा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को कम करती है और उन्हें घरेलू कार्यों में ही सीमित करती है। जबकि दूसरी ओर, पुरुष यह सोचना शुरू कर देते हैं कि वे पैसे कमाकर कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और वे अंततः महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू

काम को महत्वहीन समझने लगते हैं। इससे पुरुषों में श्रेष्ठता की भावना पैदा होती है और उन्हें लगता है कि उन्हें महिलाओं का अपमान करने और उनका शोषण करने का अधिकार है।

- कोरोना महामारी पहले से मौजूद असमानताओं को और गहरा कर रही है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों में इसने महिलाओं के संदर्भ में कमजोरियों को पूरी तरह से उजागर किया है।
- जाहिर तौर पर कोविड महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों के संकुचन से लोगों के रोजगार सीमित हुये हैं। इसका महिलाओं पर व्यापक असर हुआ है। वैश्विक स्तर पर 75 प्रतिशत महिलाएं और लड़कियां परिवार की देखभाल एवं अन्य घरेलू काम करती हैं, जो अवैतनिक होता है। हालांकि दो दशक से अधिक पुराने (1998-99) राष्ट्रीय-स्तर किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में लगभग 91 प्रतिशत अवैतनिक देखभाल और घरेलू रखरखाव जैसे कार्य महिलाओं द्वारा किए गए। इसके अलावा पुरुषों द्वारा प्रति सप्ताह लगभग दो घंटे के विपरीत महिलाओं ने औसतन 25 घंटे प्रति सप्ताह देखभाल कार्य में बिताए। कोरोना काल में यह भेद और बढ़ गया।
- 2004-05 में भारत में अवैतनिक देखभाल कार्य और घरेलू रखरखाव में पुरुषों द्वारा प्रति दिन 45 मिनट के मुकाबले महिलाओं ने प्रति दिन पांच घंटे से अधिक समय बिताया। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्तमान समय में कोविड 19 के कारण महिलाएं घरेलू कार्यों में इतनी व्यस्त हो गई हैं कि उन्हें अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी नजर नहीं आ पातीं।
- पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आर्थिक स्थिति खराब होने की एक और वजह ये है कि पुरुषों के मुकाबले उन्हें वेतन कम मिलता है। समान पद पर समान काम करने वाली महिला को दुनिया भर में पुरुष कर्मचारियों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है। कोरोना काल में यह भेदभाव और व्यापक हो गया।

कोविड 19 के कारण घरेलू कार्यों में महिलाओं पर बढ़ती निर्भरता

- कोविड 19 के कारण घरेलू कार्यों में महिलाओं पर बढ़ती निर्भरता उनके आर्थिक सशक्तिकरण और घर से बाहर निकलने के लिए उनके दशकों के अविश्वसनीय संघर्ष को धूमिल करती जा रही है।
- भारत एवं विश्व में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार देते हैं- जैसे पर्यटन, आतिथ्य और खुदरा (retail यह लगभग तय है कि ये सेक्टर जल्द ही किसी भी समय पूर्ण पैमाने पर अपने परिचालन को फिर से शुरू नहीं करने वाले हैं। इसका तात्पर्य है कि महिला श्रमिकों का पर्याप्त स्तर पर नियंत्रण और महिलाओं के आय के स्वतंत्र स्रोत के अवसरों का संकुचन होगा।

- कोरोना महामारी के प्रभावों को कम करने के लिए किए गए उपायों ने महिलाओं की दिनचर्या को बेहद कठिन बना दिया है, उदाहरण के लिए- ऑनलाइन शिक्षा मांग करती है कि माताओं को बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं, असाइनमेंट और आकलन करने में मदद करने के लिए लंबे समय तक निर्बाध रूप से उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा, बच्चों और बुजुर्गों को संभावित कोरोनोवायरस संक्रमणों से बचाने और घर से बाहर रहने वाले सदस्यों की देखभाल करने का महिलाओं पर भारी असर पड़ता है। यदि घर के पुरुष सदस्यों को घर से काम करने का विकल्प प्रदान किया जाता है, तो देखभाल कार्य की तीव्रता काफी बढ़ जाती है। कोविड महामारी के ये प्रभाव एक महिलाओं की स्थिति को कमजोर कर रहे हैं तो दूसरी ओर परिवार के पुरुषों में उनकी निर्भरता को भी बढ़ा रहे हैं, जिसका अंतिम परिणाम भारतीय समाज में पहले से विद्यमान पितृसत्ता को और भी मजबूत कर रहा है।

लैंगिक असमानता का समापन आवश्यक

बेहतर लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाना चाहिए:

- कोविड-19 से संबन्धित योजनाओं और निर्णयों में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आर्थिक नियोजन और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहित सभी क्षेत्रों में निर्विवाद रूप से यह देखा गया है कि जिन नीतियां अथवा निर्णय लेने में महिलाओं से परामर्श नहीं लिया गया या उन्हें शामिल नहीं किया गया, वे कम प्रभावी रही हैं। व्यक्तिगत महिलाओं के साथ महिलाओं के संगठन जो अक्सर समुदायों में प्रतिक्रिया की अग्रिम पंक्ति में होते हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व और समर्थन किया जाना चाहिए।
- वैतनिक और अवैतनिक देखभाल अर्थव्यवस्था को संबोधित करके समानता के लिए परिवर्तनकारी बदलाव लाया जा सकता है।
- महिलाएँ दुनिया की कुल आबादी का करीब-करीब आधा हिस्सा हैं, और इसी कारण से लैंगिक विभेद के व्यापक और दूरगामी असर होते हैं, जिनका समाज के हर स्तंभ पर असर दिखता है। बीजिंग घोषणापत्र एवं प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन का मुख्य उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ाने के साथ सिविल सोसायटी व महिलाओं एवं युवाओं को साथ लाना है। इसलिए कामकाजी महिलाओं की कार्यदशाओं को सुधारने एवं आर्थिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु भारत में जेंडर बजटिंग के प्रावधानों को जमीनी हकीकत पर उतारने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- कोरोना महामारी के अस्तित्व के पहले से महिलाओं के प्रति हिंसा हमारे समाज की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है। लेकिन जब लॉकडाउन के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा था तब भी भुगतने वाली महिलाएं ही थीं या हैं। एक समाज के रूप में हम किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़ों के लिए तो फिर भी आगे आ कर सहायता कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की सहायता ऐसी परिस्थितियों में सबसे आवश्यक काम है।
- लैंगिक असमानता को दूर करने के लिये कानूनी प्रावधानों के अलावा सामाजिक जागरूकता बेहद आवश्यक है, कोरोना महामारी से उपजी परिस्थितियों में आर्थिक मापदंड पर महिलाओं की आत्मनिर्भरता पुरुषों पर बनी हुई है अर्थात् महिलाओं द्वारा परिवार के खेतों और उद्यमों पर कार्य करने को तथा घरों के भीतर किये गए अवैतनिक कार्यों को सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता है। पितृसत्ता का प्रभाव सिर्फ देश के ज्यादातर नागरिकों पर ही नहीं है, बल्कि सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका जैसे संस्थान भी इसके असर से बचे हुए नहीं हैं, जिन पर इन और दूसरे कानूनों को लागू कराने का दायित्व है।
- कोविड-19 के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को संबोधित करने के सभी प्रयासों में महिलाओं और लड़कियों को शामिल किया जाना चाहिए साथ ही राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों और सामाजिक सहायता कार्यक्रमों को तैयार करते समय लैंगिक दृष्टिकोण को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। ताकि महिलाओं और लड़कियों को अधिक समानता, अवसर और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। मौजूदा महामारी के संकट में महिलाओं और लड़कियों के लिए विशेष प्रावधान किया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. क्या कोरोना महामारी पितृसत्ता को मजबूत कर रही है? आलोचनात्मक टिप्पणी करें।

04 तालिबान युद्धविराम : अफगानिस्तान में शांतिवार्ता की एक नयी पहल

चर्चा का कारण

- हाल ही में बकरीद के मौके पर तालिबान ने अफगानिस्तान में 3 दिन के संघर्ष विराम (सीजफायर) की घोषणा की है अर्थात इन दिनों में उसकी तरफ से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की जाएगी।

पृष्ठभूमि

- अमेरिका एवं तालिबान के बीच इस वर्ष की शुरूआत में शांति समझौता हुआ। अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता में निम्नलिखित प्रावधान थे –
  - तालिबान, अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा।
  - तालिबान और अफगानिस्तान सरकार आपस में अफगानिस्तान की बेहतरी हेतु वार्ता करेंगे।
  - अफगानिस्तान सरकार, तालिबान कैदियों की रिहाई करेगी तथा तालिबान भी अफगानिस्तान के बंदी बनाए गए सैनिकों की रिहाई करेगा।
  - अमेरिकी सेना, जल्द से जल्द अफगानिस्तान की धरती को छोड़ कर चली जाएगी।
- अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता होने के बाद अफगानिस्तान सरकार ने शुरूआत में तालिबान कैदियों को रिहा करने से मना कर दिया जिसके परिणामस्वरूप तालिबान ने भी अफगानिस्तान से बातचीत करने से मना कर दिया और अफगानिस्तान में हिंसा जारी रखी।
- वर्तमान में अफगानिस्तान सरकार ने तालिबानी बंदियों की रिहाई करना शुरू कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप तालिबान ने भी बकरीद के मौके पर सीजफायर की घोषणा की है।
- इस स्थिति में विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीज फायर और भी आगे बढ़ सकता है और तालिबान एवं अफगानिस्तान सरकार के बीच बातचीत का रास्ता प्रशस्त हो सकता है।

भारत-अफगानिस्तान संबंध

- भारत और अफगानिस्तान के संबंध ऐतिहासिक हैं। सोवियत हस्तक्षेप (1979-89) के दौरान, अफगानिस्तान के सोवियत समर्थित लोकतांत्रिक गणराज्य को मान्यता प्रदान करने वाला एकमात्र दक्षिण-एशियाई देश भारत था।
- सोवियत बलों के चले जाने के बाद 1990 के दशक में भारत, तालिबान विरोधी 'उत्तरी गठबंधन' के प्रमुख समर्थकों में से एक बन गया। सन् 2005 में भारत ने सार्क संगठन में अफगानिस्तान की सदस्यता का प्रस्ताव दिया।
- सन् 2011 में भारत ने अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी अनुबंध किया। इसके माध्यम से भारत द्वारा अफगानिस्तान की अवसंरचना एवं संस्थानों के पुनर्निमाण, शिक्षा व तकनीकी विकास आदि हेतु सहायता दी जा रही है।

अफगानिस्तान के पुनर्निमाण में भारतीय योगदान

- भारत ने अफगानिस्तान तक आसान पहुँच बनाने हेतु चाबहार बंदरगाह के निर्माण में योगदान दिया है।
- भारत ने सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण जारंज-डेलाराम राजमार्ग के विकास में भी योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, अफगानिस्तान के संसद भवन, सलमा बांध (भारत-अफगानिस्तान मैत्री बाँध), काबुल तक के लिए ट्रांसमिशन लाइनें, शिक्षा व स्वास्थ्य संरचना आदि के निर्माण में भी भारत ने उल्लेखनीय योगदान दिया है।
- अफगानिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, शिक्षक एवं दूसरे प्रोफेशनल्स भारत में ट्रेनिंग हेतु आते हैं।
- भारत ने अफगानिस्तान की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लगातार प्रयास किये हैं।
- कोविड-19 महामारी के दौर में भारत ने अफगानिस्तान को खाद्य, स्वास्थ्य आदि में सहायता बढ़ा दी है।
- भारत ने अफगानिस्तान में शांति हेतु हमेशा 'अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान के स्वामित्व वाली और अफगान नियंत्रित' (Afgan-led Afgan-owned Afgan-controlled) नीति का समर्थन किया है।

भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्त्व

- भारत के लिए अफगानिस्तान के महत्व को तीन भागों में बाँटकर देखा जा सकता है:
  - भू-राजनीतिक (Geo-political)
  - भू-रणनीतिक (Geo-strategic)
  - भू-आर्थिक (Geo-economic)

भू-राजनीतिक

- अफगानिस्तान के माध्यम से भारत अपनी सॉफ्ट पॉवर (Soft Power) को प्रदर्शित करता है। अफगानिस्तान में भारत की बॉलीवुड मूवी, धारावाहिक, क्रिकेट आदि को खूब पसंद किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अफगानी लोग भारत की विविधता एवं धार्मिक सहिष्णुता से काफी प्रभावित रहते हैं।
- अफगानिस्तान से कई लोग भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि हेतु आते हैं।

भू-रणनीतिक

- अभी भारत और पाकिस्तान के बीच छद्म युद्ध (Proxy War) कश्मीर में चल रहा है जिसमें भारत को काफी नुकसान होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह छद्म युद्ध यदि पाकिस्तान की धरती 'बलूचिस्तान' में होगा तो भारत बढ़त की स्थिति में होगा और इसके लिए भारत का अफगानिस्तान पर प्रभुत्व होना अति आवश्यक है।
- इसके साथ ही अफगानिस्तान में स्वतंत्र एवं राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना से अफगानिस्तान सरकार के द्वारा पाकिस्तान से लगने वाली सीमाओं के निर्धारण की मांग को लेकर पाकिस्तान के पश्चिमी सीमाओं पर मतभेद बढ़ जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि पाकिस्तान को अपनी सेना का मूवमेंट पश्चिमी सीमा पर भी केंद्रित करना रहता है जिसके कारण भारत-पाकिस्तान सीमा पर दबाव कम होता है।

भू-आर्थिक

- अफगानिस्तान की स्थिति ऐसी है कि भारत यहाँ से केन्द्रीय एशियाई देशों एवं रूस में आसानी से पहुँच सकता है।

- मध्य एशिया में पहुंच होने से ना केवल भारत को ऊर्जा संकट की दिशा में आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि या भारतीय उत्पादों के लिए भी एक बड़ा बाजार उपलब्ध करवाएगा। वही आतंकवाद से लड़ने हेतु महत्वपूर्ण सूचना भी प्राप्त करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में अफगानिस्तान का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति मध्य एशिया में प्रवेश की कुंजी की तरह है।
- अफगानिस्तान एक संसाधन प्रचुर देश है। तापी गैस पाइपलाइन अफगानिस्तान से होकर गुजरेगी और यह तभी सम्भव हो पायेगा जब अफगानिस्तान में शांति होगी। उल्लेखनीय है कि तापी गैस पाइपलाइन तीन देशों तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की महत्त्वाकांक्षी योजना है। यदि यह गैस लाइन बन जाती है तो भारत को काफी सस्ती गैस प्राप्त होगी।

अमेरिका एवं तालिबान के बीच शांति समझौता में निहित चुनौतियाँ

अफगानिस्तान के संदर्भ में

- विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ने जब तालिबान से शांति समझौता किया था तो उसमें उसे अनिवार्य रूप से संघर्ष विराम प्रावधान रखना चाहिए था। किंतु अमेरिका ने जल्दबाजी में शांति समझौता कर लिया ताकि अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी उपलब्धि को दर्शा सकें, जिसका खामियाजा अभी तक अफगानिस्तान की जनता को अपनी जान गवांकर चुकाना पड़ा।
- अफगानिस्तान सरकार भी एकजुट नहीं है। उसके अंदर गुटबंदी और घर्षण व्याप्त है। सितंबर, 2019 में अफगानिस्तान में चुनाव हुए थे जिसमें अशरफ गनी को जीत हासिल हुई थी किंतु उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला-अब्दुल्ला ने इन चुनावों के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया और अफगानिस्तान में समानान्तर सरकार स्थापित करने कि घोषणा कर दी।
- इससे अफगानिस्तान में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। बाद में जब अब्दुल्ला-अब्दुल्ला को राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद (High Council for NationalRreconcilation) का अध्यक्ष चुना गया , तब जाकर स्थितियाँ सामान्य हुईं। इस तरह की घटनाओं से तालिबान

की स्थिति मजबूत होती है और अफगानिस्तान सरकार कमजोर पड़ती है।

- पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान की धरती को भारत के खिलाफ आंतकी गतिविधियों को चलाने हेतु इस्तेमाल करता आया है। अभी भी वह यही चाहता है कि अफगानिस्तान में उसकी कठपुतली सरकार बैठे और उसके इशारे पर भारत को नुकसान पहुँचाया जाये।
- विशेषज्ञों का कहना है कि यूएसए के अफगानिस्तान से जाने के बाद तालिबान फिर से वहाँ की सत्ता पर काबिज हो सकता है।

अन्य हितधारकों पर प्रभाव:

- अमेरिका का तालिबान से समझौता डोनाल्ड ट्रंप के 2016 के चुनावी वादों के अनुरूप है जो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के चुनाव में मदद प्रदान करेगा। इसके साथ ही इस समझौते के उपरांत अमेरिका कई वर्षों से चल रहे एक अनिर्णायक युद्ध से वापस निकल जाएगा।
- तालिबान के शक्तिशाली होने से पाकिस्तान का हस्तक्षेप अफगानिस्तान में बढ़ जाएगा एवं एक कठपुतली सरकार की स्थापना होगी जिसका नेतृत्व पाकिस्तान कर रहा होगा।
- इस शांति समझौते से चीन भी काफी लाभान्वित होगा क्योंकि इससे ना केवल चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (CPEC) को स्थायित्व मिलेगा बल्कि चीन को अपनी महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव को भी आगे बढ़ाने में सहूलियत मिलेगी।

भारत के स्तर पर

- भारत और तालिबान के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। भारत ने राजनैतिक और आधिकारिक तौर पर कभी भी तालिबान को तवज्जो नहीं दी जब 1996-2001 के दौरान तालिबान सत्ता पर काबिज था।
- तालिबानी नेता मुल्ला बरादर ने अपने वक्तव्य में उन देशों में भारत का नाम नहीं लिया जिन्होंने अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें की। बरादर ने पाकिस्तान की खास तौर पर उसके कामों और मदद की तारीफ की।
- साल 1999 में विमान अपहरण के बाद भारत को मौलाना मसूद अजहर समेत कई आतंकियों को रिहा करना पड़ा था जिसकी कड़वी यादें आज भी भारत के जेहन में ताजा हैं। मौलान मसूद अजहर आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद का सरगना है। इसके अलावा मसूद अजहर को संसद हमले, पठानकोट पर हमले और पुलवामा हमले का भी मास्टरमाइंड माना जाता है।
- तालिबान भी भारत को एक दुश्मन मुल्क के तौर पर देखता है जिसकी वजह भारत द्वारा 1990 में तालिबान विरोधी ताकतों का किया गया समर्थन है।
- हाल के सालों में अमरीकी तालिबान वार्ताओं ने जोर पकड़ा। हालांकि भारत वार्ता के सभी पक्षकारों के संपर्क में था लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत कभी

भी तालिबान के साथ सीधे वार्ता में नहीं शामिल हुआ।

- तालिबान की मजबूती से भारत के हितों पर प्रभाव को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-
  - भारत पहले ही अफगानिस्तान में अरबों डॉलर के लागत वाले कई मेगा प्रोजेक्ट्स को पूरा कर चुका है और कुछ पर अभी भी काम चल रहा है। तालिबान की सत्ता में आने पर भारत के रणनीतिक निवेश को प्रभावित होने की आशंका विद्यमान है।
  - भारत के द्वारा अफगानिस्तान में किया जा रहा है सामाजिक और सांस्कृतिक निवेश भी हतोत्साहित होंगे क्योंकि पुनः कट्टरपंथी शक्तियां अफगानिस्तान के सामाजिक प्रगति के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करेंगे।
  - भारत ने अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप के देशों से व्यापार और संबंधों को मजबूती देने के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट के विकास में भारी निवेश किया है। इससे चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना के काट के रूप में भी देखा जा रहा है। यदि अफगानिस्तान में तालिबान सत्तासीन होता है तो भारत की यह परियोजना भी खतरे में पड़ सकती है क्योंकि इससे अफगानिस्तान के रास्ते अन्य एशिया समेत अन्य देशों में भारत की पहुंच बाधित होगी।
  - तालिबान के सत्ता में आ जाने पर पाकिस्तान की अफगानिस्तान में हस्तक्षेप काफी बढ़ जाएगा इसके साथ ही पाकिस्तान का पश्चिमी सीमा पर दबाव कम हो जाएगा जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत-पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी गतिविधियों पर पड़ेगी एवं भारत को अस्थिर करने वाली आतंकवाद समेत अन्य घटनाएं बढ़ जाएंगी।
  - गौरतलब है कि यदि एक स्थिर एवं आर्थिक रूप से संपन्नता की ओर उन्मुख अफगानिस्तान अतीत में भारत के लिए हितकारी था तो यह भविष्य में भी एक प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए।

आगे की राह

- जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आह्वान किया है कि कोविड-19 महामारी के दौर में विश्व के हर हिस्से में संघर्ष-विराम होना चाहिए और इस बीमारी से सभी को लड़ना चाहिए। अतः अफगानिस्तान में भी सभी हितधारकों को संघर्ष-विराम को सुनिश्चित कराने हेतु तत्पर होना चाहिए और इसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
- इसके साथ ही भारत को भी यथार्थ परिस्थितियों को समझते हुए तालिबान के संदर्भ में अपने नीतियों को परिमार्जित करने की आवश्यकता है क्योंकि तालिबान को नजरअंदाज कर अब अफगानिस्तान के साथ भारतीय हितों को बढ़ाया नहीं जा सकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।
- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव

प्र. भारत के लिए अफगानिस्तान के महत्व पर संक्षिप्त मे चर्चा करने के साथ- साथ यह भी बताएं कि भारत, अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने हेतु किस प्रकार के प्रयास कर सकता है?

05 लोकमान्य तिलक : स्वराज से आत्मनिर्भर भारत तक

संदर्भ

- बाल गंगाधर तिलक की 100 वीं पुण्यतिथि पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि गांधी युग के आगमन के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक बाल गंगाधर तिलक ने 1 अगस्त 1920 को अंतिम सांस ली थी।

परिचय

- बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक व माता का नाम पार्वती बाई था। बचपन से ही बाल गंगाधर तिलक को पढ़ने-लिखने का बहुत शौक था वे आधुनिक कॉलेज शिक्षा पाने वाली पहली भारतीय पीढ़ी में थे। एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही उन्हें भारतीय समाज सुधारक, शिक्षक, वकील और भारतीय इतिहास, संस्कृत, हिन्दू धर्म, गणित और खगोल विज्ञान के ज्ञाता होने का गौरव भी प्राप्त था। यह उनकी महान विद्व ता ही थी कि बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी थे और उनके प्रति देश का लोक प्रेम था कि उन्हें 'लोकमान्य' की उपाधि मिली।
- देश के लोगों में आजादी की अलख जगाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने 'मराठा दर्पण' और 'केसरी' नाम से दो मराठी अखबार निकाले जो बहुत लोकप्रिय हुए, जिनके पाठकों की संख्या बहुत थी। इन अखबारों में तिलक ने अंग्रेजों की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी हीन भावना पर अपने विचार खुलकर व्यक्त किए।
- बीमारी के चलते 1 अगस्त 1920 को बालगंगाधर तिलक का मुंबई में निधन हो गया। यह देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। आधुनिक भारत के निर्माता और भारतीय क्रांतिकारी के जनक के रूप में उन्हें देश आज भी याद करता है।

भारतीय की स्वंत्रता में बाल गंगाधर तिलक का योगदान

- लोकमान्य तिलक कांग्रेस पार्टी के गर्म दल के नेता था। वह बचपन से ही अंग्रजों की दमनकारी नीतियों को प्रखर विरोधी रहे हैं। उस वक्त भारत के राजनीतिक माहौल में तिलक का जो कद था उसे देखकर 1917 से 1922 तक देश में ब्रिटिश सेक्रेट्री ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रहे सैमुअल मोंटेग्यू ने कहा था, इस वक्त भारत में शायद तिलक से ज्यादा ताकतवर कोई दूसरा शख्स नहीं है।
- बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें अपनी राष्ट्रवादी सोच के कारण एक अंग्रेजी पत्रकार वेलेंटाइन चिरोल द्वारा लिखित पुस्तक 'इंडियन अनरेस्ट' में 'अशांति का जनक' कहा। उन्हें ऐसा कहने के पीछे कई कारणों में से एक उनकी ओजस्वी भाषा थी, जिसने तत्कालीन समाज को तत्परता से स्वराज्य के विषय पर सोचने पर मजबूर किया।
- तिलक ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के लिए एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन चलाया। तिलक ने 1916 में एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा' का नारा दिया।
- 1916 में हिंदु-मुस्लिम एकता के लिये भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर तिलक तथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की यह घटना हिंदू-मुस्लिम एकता के मील का पत्थर कही जा सकती है।

तिलक का सामाजिक योगदान

- देश को स्वतंत्र कराने के लिए दृढ़ निश्चयी बालगंगाधर तिलक ने समाज सुधार के लिए भी काफी सराहनीय कार्य करे। उन्होंने बाल विवाह जैसी कुरीतियों का घोर विरोध किया और इसे प्रतिबंधित करने की मांग की। तिलक ने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। जातिवाद और छुआछत के वे कट्टर विरोधी थे।
- महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध गणपति उत्सव की शुरूआत में बाल गंगाधर तिलक ने अहम भूमिका निभाई। यहां से उन्होंने जाति और संप्रदायों में बंटे समाज को एक बनाने और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक बड़ा जनआंदोलन चलाया। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा दर्पण और मराठी भाषा में केसरी दो दैनिक समाचार पत्र शुरू किए। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। बाल गंगाधर तिलक अपने पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी हुकुमत की काफी आलोचना करते थे।

स्वराज और स्वदेशी के लिए तिलक का आह्वान

- स्वराज और स्वदेशी दोनों में 'स्व' अर्थात स्वयं के द्वारा उभयनिष्ठ है। स्वाधीनता के लिए तिलक की रणनीति का पहला मजबूत कदम आत्मनिर्भरता का प्रयास था।
- इसके लिए लोकमान्य तिलक कार्यवाही के साथ-साथ सामूहिक सोच का विकास करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होने "केसरी और मराठा" जैसे समाचार पत्रों का सहारा लिया और "डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी" की स्थापना की।
- संस्कृति, शिक्षा और प्रेस के माध्यम से जनमानस के बीच राजनीतिक चेतना को जागृत करने का तिलक का यह प्रयोग इतना शक्तिशाली और सफल था कि बाद में गाँधी और अंबेडकर जैसे अन्य लोगों ने भी इसी प्रयोग को अपनाया।
- स्वराज और स्वदेशी के उनके विचारों को दबाने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा अपनाए गए तरीकों के तिलक के विचारों को प्रत्येक भारतीय तक पहुँचाने का कार्य किया। तिलक के होमरूल आंदोलन के उद्देश्य बिलकुल स्पष्ट थे। उन्होने अपने होमरूल आंदोलन के

माध्यम से स्वराज के लिए एक उर्वर जमीन तैयार करने का कम किया।

- स्वदेशी के प्रति तिलक के विचार सिर्फ विलायती सामनों का बहिष्कार तक सीमित नहीं था। वे इस बहिष्कार को स्वदेशी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने का एक कारक बनाना चाहते थे।
- तिलक का स्वराज भी राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था। वह सांस्कृतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता के प्रति भी सचेत थे।
- उनके द्वारा शुरू किए गए सार्वजनिक उत्सव- गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती, का उद्देश्य स्पष्ट रूप से सभी जातियों और समुदायों का सांस्कृतिक मिलन करना था।
- केसरी के एक संपादकीय में उन्होंने लिखा था, "यह (गणेश) उत्सव सदियों पुराना और सार्वभौमिक है; लेकिन इस बार इसके बारे में नई बात यह है कि सभी जातियां न कि सिर्फ ब्राह्मण - एक साथ आई और इसे सभी हिंदुओं का त्योहार बना दिया, यह एक ऐसी चीज है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए।

आधुनिक भारत के भविष्यवक्ता

- लोकमान्य तिलक के अंदर आजादी के बाद के भारत का एक खाका भी था। जिसके लिए, स्वराज के साथ-साथ स्व-भाषा और स्व-भूषा, अर्थात मातृभाषा और स्वदेशी पोशाक को उन्होने पसंद किया गया था।
- शायद, वह पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने भाषाई राज्यों के गठन की कल्पना की थी। उन्होंने कहा था कि हमें मराठी, तेलुगु और कन्नड़ लोगों के लिए अलग राज्य बनाना चाहिए।
- उनका बहुत ही स्पष्ट सिद्धान्त था कि शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए।
- एक बेहतरीन रणनीतिकार के रूप में तिलक ने दो चीजों का इस्तेमाल किया - संवैधानिकता और लोकतंत्र जिसे ब्रिटिश शासक दुनिया को अपनी देन समझते थे। उन्होंने संपादक के रूप में अपने पेशेवर कौशल से इसका बड़ी ही निडरता से इस्तेमाल किया।
- उनके संपादकीय न केवल कठोर होते थे, बल्कि कानूनी निहितार्थों से बचने के लिए तर्क-वितर्क के साथ सावधानीपूर्वक लिखे जाते थे।

निष्कर्ष

- लोकमान्य तिलक की मांग का स्वर और सिद्धांत रणनीतिक रूप से स्पष्ट और समाधान कारक होते थे। उसने लिखा था कि "भारत एक बेटे की तरह था जो बड़ा हो गया है और परिपक्व भी हो गया है। अब यही सही है कि ट्रस्टी या पिता को उसे वह दे देना चाहिए जो उसका है।"
- आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो तिलक की विरासत को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को पुनर्जीवित करना और संस्कृति के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए प्रयास करना तिलक की रणनीति की प्रमुख विशेषताएं थी। आत्मनिर्भरता के लिए तिलक की ये रणनीति आज भी प्रासंगिक बनी हुई है।

सामान्य अध्ययन पेपर-1

Topic:

- स्वतंत्रता संग्राम-इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति/ उनका योगदान।

प्र. भारत को आत्मनिर्भर बनाने में तिलक के विचार कहाँ तक प्रासंगिक हैं? समीक्षा करें।

06 डब्ल्यूटीओ की सार्थकता : वैश्विक व्यापार के बेहतर विनियमन की जरूरत

संदर्भ

- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जिस संकट से गुजर रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। मौजूदा समय में वैश्विक व्यापार नियमों में विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जहां कोविड महामारी ने वैश्विक आपूर्ति शृंखला और व्यापार को बाधित किया है, वैश्विक व्यापार को संरक्षित करने और उसके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूटीओ को पुन: सक्रिय किए जाने की आवश्यकता है।

डब्ल्यूटीओ: कार्य और संरचना

- विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी, 1995 को बहुआयामी व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर में तात्कालिक सदस्यों की सहमति से अस्तित्व में आया। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में स्थित है और इसके सदस्यों की संख्या 164 है।
- विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-
  - व्यापार समझौतों को प्रशासित करना,
  - व्यापार प्रतिनिधियों के लिए फोरम की स्थापना करना,
  - व्यापार विवादों को सुलझाना,
  - व्यापार नीतियों की निगरानी करना,
  - विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहयोग व प्रशिक्षण देना तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग करना।
- विश्व व्यापार संगठन की संरचना तीन स्तरीय होती है-
  - मंत्री स्तरीय सम्मेलन
  - सामान्य परिषद
  - महानिदेशक एवं सचिवालय
- डब्ल्यूटीओ की शीर्ष इकाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है। डबल्यूटीओ के सभी नीतिगत निर्णय एवं समझौते इसी इकाई द्वारा किए जाते हैं। इसमें प्रत्येक सदस्य देश का एक-एक प्रतिनिधि होता है। इसकी बैठक प्रत्येक दो वर्षों की अवधि में एक बार अनिवार्य रूप से होती है।
- मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के निर्णयों एवं समझौतों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक सामान्य परिषद (General Council) की व्यवस्था की गई है जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि रहते हैं। सामान्य परिषद को अन्य समितियों के लिए नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है।
- सामान्य परिषद की सहायता के लिए सेवा व्यापार परिषद, वस्तु व्यापार परिषद एवं व्यापार से जुड़े बौद्धिक सम्पदा अधिकार परिषद बनाई गयी है जो सामान्य परिषद की देखरेख एवं सामान्य निर्देशन के अंतर्गत कार्य करती है।
- विश्व व्यापार संगठन के निर्णयों एवं समझौतों के कार्यान्वयन के लिए जेनेवा में एक सचिवालय है, जिसके महानिदेशक की नियुक्ति मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के द्वारा की जाती है। इसके अधिकार, कर्तव्य एवं सेवा शर्तों का निर्धारण भी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन द्वारा ही किया जाता है।

विश्व व्यापार संगठन का महत्व

- विश्व व्यापार संगठन का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है।
- इसमें प्रत्येक देश को एक समान मतदान का अधिकार प्राप्त है।
- एमएफएन (मोस्ट फेवर्ड नेशन-MFN) तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार में सभी सदस्यों के अधिकार सुरक्षित हों।
- विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body) व्यापार नियमों को लागू करता है और सभी देशों के मुद्दों पर समान रूप से विचार करता है।
- इसलिए नियम आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए डब्ल्यूटीओ जैसे संस्था का सक्रिय रूप से कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है।

डब्ल्यूटीओ से जुड़े हालिया मुद्दे

डब्ल्यूटीओ निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है:

- **सर्वसम्मति बनाने की समस्या:** डब्ल्यूटीओ 164 सदस्य देशों का एक बड़ा निकाय है, इसलिए इतने सदस्यों के बीच किसी मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाना कठिन कार्य हो जाता है।

- **प्राथमिकताओं में विचलन:** दोहा विकास एजेंडे की प्राथमिकताएं विकासशील और अविकसित देशों की ओर अभिमुखित हैं। दोहा एजेंडा का सीधा संबंध विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा से है एवं इसके तहत विकसित देशों को अपने यहाँ कृषि सब्सिडी में कटौती करनी है। दोहा एजेंडे पर सहमति नहीं बन पायी। उरुग्वे दौर भी इन देशों के विकास को बढ़ावा देने और इनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने पर केन्द्रित है। जबकि विकसित राष्ट्र ई-कॉमर्स, निवेश सुगमता, सेवा व्यापार, लिंग मानदंडों जैसे मुद्दों के आधार पर नया एजेंडा प्रस्तावित कर रहे हैं।
- विवाद निपटान निकाय (DSB) की निष्क्रियता: अमेरिका द्वारा पिछले कुछ वर्षों से WTO के अपीलीय निकाय में सदस्यों की नियुक्ति को अवरुद्ध किया जा रहा है और इसका गंभीर प्रभाव WTO की विवाद निपटान प्रणाली पर पड़ रहा है।
- क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में वृद्धि और WTO के बौद्धिक सम्पदा और श्रम कानूनों के बढ़ते प्रावधान भी नई चुनौतियों को प्रस्तुत करते हैं। प्रशांत देशों के बीच ट्रांस-पैसिफिक साझेदारी इसी का एक उदाहरण है।
- विश्व व्यापार संगठन को दरकिनार करते हुए व्यापार युद्ध जैसे परिस्थितियां को पैदा किया जाना।
- विकासशील देशों के वर्गीकरण मानदंडों जैसे कई मुद्दों के नाम पर यूएसए द्वारा डबल्यूटीओ के साथ सहभागिता में अनिच्छा जाहिर करना।
- पिछले कुछ वर्षों से अधिकांश देशों द्वारा आर्थिक नीतियों में संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया गया है एवं WTO इन संरक्षणकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने में विफल रहा है। कोविड 19 महामारी के कारण इन संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को और बढ़ावा मिला है जो कि चिंता का विषय है।

डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता

- डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रमुख सुझावों को अपनाया जा सकता है:
- डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों को नए महानिदेशक की शीघ्रता से नियुक्ति करनी चाहिए। महानिदेशक का मुख्य कार्य सदस्य देशों के बीच सहमति बनाना होता है। इसके लिए आवश्यक है कि महानिदेशक राजनीतिक रूप से तटस्थ और निष्पक्ष हो।
- डब्ल्यूटीओ के सुचारू संचालन के लिए यूएसए को इसमें संलग्न किया जाना चाहिए। डब्ल्यूटीओ की प्रक्रिया के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए सदस्य देशों की वास्तविक चिंताओं को संबोधित किया जाना चाहिए।
- विवाद निपटान निकाय (DSB) को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना विवाद निपटान तंत्र के डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता ही धूमिल हो जाती है। इसके लिए यूएसए को भी आश्वस्त किया जाना चाहिए।
- जून 2021 में होने वाले आगामी मंत्रीस्तरीय सम्मेलन के एजेंडे को सीमित किया जाना चाहिए ताकि इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। इससे संगठन की कार्य क्षमता में भी वृद्धि हो सकती है।
- इसके अलावा डब्ल्यूटीओ को चीन और उसकी व्यापार प्रथाओं पर फिर से विचार करना करना होगा। यह सिर्फ इसलिए नहीं की चीन विश्व व्यापार संगठन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है बल्कि इसलिए भी क्योंकि कई देश चाहते हैं कि संगठन चीन के राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों, उसके द्वारा तकनीकी हस्तांतरण और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की भूमिका जैसे मुद्दों को स्पष्ट किया जाना चाहिए।
- विश्व व्यापार संगठन ई-कॉमर्स, निवेश और सेवाओं व्यापार जैसे मुद्दों के लिए मध्यम अवधि में भविष्य की बातचीत का एजेंडा भी तय करना चाहिए और इसमे विकासशील देशों की समस्याओं को भी संबोधित किया जाने समेत दोहा एजेंडा की दिशा में आगे बढ़ा जाना चाहिए।
- बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत लाया जा सकता है और भविष्य में इन समझौतों में अन्य देशों के शामिल होने की गुंजाइश भी होनी चाहिए।

निष्कर्ष

- महामारी, संरक्षणवाद और व्यापार युद्ध जैसे चुनौतियों के बीच वैश्विक व्यापार एक अनिश्चित समय का सामना कर रहा है। कोविड -19 के बाद की दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संरक्षित करने और व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूटीओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए विश्व की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक निकाय का कायाकल्प किया जाना आवश्यक है।

सामान्य अध्ययन पेपर – 2

Topic:

- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

प्र. कोविड-19 के दौर में WTO की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। चर्चा करें।

07 पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना मूल्यांकन मसौदा 2020: एक अवलोकन

चर्चा का कारण

- पिछले कुछ दिनों में फ्राइडे फॉर फ्युचर इंडिया (भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु एक जन आंदोलन (अथवा संस्था), ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)-2020 के मसौदे को लेकर कई आंदोलन किए हैं ।
- पर्यावरण प्रभाव आकलन एक महत्वपूर्ण विनियमन है, जिसके माध्यम से पर्यावरण पर विभिन्न परियोजनाओं, भूमि उपयोग, वन संरक्षण, औद्योगिक प्रदूषण आदि के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है जो कि विकास परियोजनाओं पर निर्णय लेने में एक विकल्प के तौर पर काम करता है।
- कोविड-19 महामारी के दरम्यान भारत सरकार ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)-2020 के मसौदे को सार्वजनिक किया है, ताकि जनता की राय इस पर जानी जा सके और उनके सुझावों को अमल में लाया जा सके।

पृष्ठभूमि

- ध्यातव्य है कि 1972 में हुए पर्यावरण पर स्टॉक होम सम्मेलन में हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने जल (1974) और वायु (1981) प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कानून बनाए थे, परन्तु 1984 में भोपाल गैस रिसाव आपदा के बाद भारत को 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक अम्ब्रेला अधिनियम बनाना पड़ा।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भारत ने 1994 में अपने पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) मानदंडों को अधिसूचित किया। हर विकास परियोजना को पहले से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ईआईए प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है।
- 1994 की ईआईए अधिसूचना को 2006 में संशोधित मसौदे के साथ बदल दिया गया।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)-2006

कई अड़चनों और व्यवसायियों के विरोध के चलते भारत सरकार 1994 के बाद सन 2006 में पर्यावरण प्रभाव आकलन के मानदण्ड लेकर आई, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान थे-

- इसमें पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण पर बल प्रदान किया गया।
- किसी परियोजना की स्थापना के पहले मूल्यांकन समिति के गठन का प्रावधान किया गया।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जन सुनवाई भी की जाने लगी (किसी परियोजना के संबंध में आम लोगों की राय जानने हेतु)।
- हालांकि, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्थापित, 2006 की ईआईए प्रक्रिया कई बार संदेह के घेरे में रही है। पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)-2006 से जुड़े निम्न बिन्दुओं के आधार पर आलोचना की जाती है-
  - कुछ आलोचकों का कहना है कि पर्यावरण पर परियोजनाओं की संभावित (हानिकारक) प्रभावों पर रिपोर्ट, अक्सर कम दक्ष और भ्रष्टाचार को बढावा देने वाली होती हैं।
  - अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक क्षमता का अभाव समस्या को और दुष्कर बना देता है।
  - दूसरी ओर, डेवलपर्स की शिकायत है कि ईआईए शासन ने उदारीकरण की भावना को कम कर दिया, जिससे लाल फीताशाही और नौकरशाही को बढ़ावा दिया है। 2014 में प्रोजेक्ट क्लीयरेंस में देरी चुनावी मुद्दा बनकर उभरी थी।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)-2020 का मसौदा

- इस साल की शुरुआत में, सरकार द्वारा 2006 से जारी संशोधनों और प्रासंगिक न्यायालयों के आदेशों को सम्मिलित करने और ईआईए की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए इसे पुनः संसोधित करने का विचार किया जा रहा।
- 2020 का मसौदा ईआईए प्रक्रिया पर राजनीतिक और नौकरशाही के लिए कोई उपाय नहीं करता है।
- इसके अतिरिक्त, यह पर्यावरण की सुरक्षा में सार्वजनिक सहभागिता को सीमित करते हुए सरकार की विवेकाधीन शक्ति को बढ़ाने का प्रस्ताव रखता है।
- नया मसौदा सार्वजनिक परामर्श से परियोजनाओं की लंबी सूची को छूट देता है। उदाहरण के लिए, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और पाइपलाइन जैसी रैखिक परियोजनाओं को किसी भी सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं होगी।
- सभी अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं और सरकार के राष्ट्रीय राजमार्गों के दो फोकस क्षेत्रों के विस्तार को पूर्व मंजूरी से छूट दी जाएगी। इनमें वे सड़कें शामिल हैं जो जंगलों के माध्यम से कटती हैं और प्रमुख नदियों के कटान से गुजरती हैं।

पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 मसौदे से संबंधित चुनौतियाँ

- पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 मसौदे से संबंधित कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं जिससे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत समझा जा सकता है-

पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया से प्रमुख उद्योगों को बाहर करना

- पर्यावरण की सुरक्षा के अपने जनादेश के सीधे विरोधाभास में ईआईए का दायरा इस अधिसूचना से काफी हद तक सिकुड़ गया है।
- सबसे चिंताजनक नए नियमों में से एक है ईआईए के तहत पूरी तरह से जांच से गुजरने वाले उद्योगों के पुनर्वर्गीकरण का मामला।
- कुल मिलाकर ईआईए 2020 के मसौदा अधिसूचना में रेत और मिट्टी निष्कर्षण, सोलर

पीवी, कोयला और गैर-कोयला खनिज पूर्वेक्षण सहित 40 अन्य ऐसी परियोजनाओं को पुनः वर्गीकृत किया गया था और इन्हें पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता से मुक्त किया गया है।

- यह एक खतरनाक कदम है क्योंकि निर्माण उद्योग सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से एक है।

नागरिक अब उल्लंघन का संज्ञान नहीं ले सकते

- यह मसौदा जनता की राय को मूल्यांकन में शामिल करने पर भी बल प्रदान नहीं करता है।
- ईआईए 2020 के मसौदा अधिसूचना का एक सबसे खराब पहलू यह है कि ईआईए के तहत परियोजनाओं में आधिकारिक तौर पर पर्यावरणीय उल्लंघन की रिपोर्ट करने का अधिकार परियोजना डेवलपर्स और सरकारी अधिकारियों के पास है जिससे सीधे प्रभावित समुदाय उल्लंघन की सीधी रिपोर्ट नहीं कर सकते है।

पर्यावरणीय क्लीयरेंस के बाद की वैधता

- नए मसौदे में दो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट-फैक्टो प्रोजेक्ट क्लीयरेंस और पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत के प्रावधान हैं।
- पोस्ट-फैक्टो प्रोजेक्ट क्लीयरेंस का तात्पर्य है कि यदि कोई परियोजना पर्यावरणीय सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए स्थापित हो जाती है तो उस परियोजना को बंद नहीं किया जाएगा बल्कि उस पर दंड लगाया जाएगा। पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत का तात्पर्य है कि अब किसी परियोजना कि स्थापना हेतु जनता की राय आवश्यक शर्त नही रह जाएगी।
- 7 मई 2020 को विशाखापत्तनम की एलजी पॉलिमर फैक्ट्री में हुई गैस रिसाव की घटना पोस्ट-फैक्टो नियमन के भयानक परिणामों का हालिया उदाहरण है। इस दुर्घटना में 12 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग बीमार हो गए। यह फैक्ट्री पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) के बिना ही काम कर रही थी। पर्यावरणीय मंजूरी के बिना चल रही ऐसी कई मौजूदा परियोजनाएं हैं, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक हैं।

वन्यजीवों और उनके आवास पर प्रभाव

- ईआईए 2020 का मसौदा अधिसूचना ईसी की स्वीकृति देने से पहले किसी भी पेड़ की कटाई के बिना भूमि को समतल करने जैसी गतिविधियों की अनुमति देता है। यह घास के मैदान, आर्द्रभूमि, मैंग्रोव और रेगिस्तान जैसे खतरों और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।
- ये आवास ऐसी लुप्तप्राय और अनुसूची-I प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है जो लगभग लुप्त होने की कगार पर हैं। इनमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फिशिंग कैट, इंडियन वुल्फ, लेसर फ्लोरिकन और ओटर्स आदि शामिल हैं।

निष्कर्ष

- जून 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका शीर्षक है-भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि भारत के जलवायु में हो रहा तेजी से बदलाव (जलवायु मॉडल द्वारा अनुमानित) देश के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि उत्पादन और स्वच्छ पानी के संसाधनों पर तनाव को बढ़ाएगा। इसके साथ ही यह बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाएगा।
- ऐसे समय में हमें इन चुनौतियों से निपटने के लिए नियमों की आवश्यकता को बढ़ा-चढ़ा कर पेश नहीं कर सकते। हम पर्यावरणीय गिरावट को कम नहीं कर सकते हैं। खराब पर्यावरण, लुप्त होती जैव विविधता और प्राकृतिक बुनियादी ढांचे के ढहने की लागत आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी होगी।
- इसलिए आज के समय में पर्यावरण का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। कुछ विद्वानों का कहना है की कोविड -19 जैसी महामारी का जन्म पर्यावरण के अति नुकसान के कारण हुआ है, अतः सरकार को सभी हितधारकों के साथ मिलकर पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए।
- ईआईए प्रक्रिया का उद्देश्य विकास और विकास प्रक्रिया से प्रभावित लोगों के बीच संबंध स्थापित करना है। अतः यदि ईआईए प्रक्रिया कमजोर होती है तो यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। पारंपरिक वनवासियों के बीच भूमि अलगाव सबसे बड़ा संकट है। सार्वजनिक परामर्श चरण में उनका प्रतिनिधित्व और जुड़ाव अस्तित्व संबंधी खतरों पर जनमत संग्रह का काम करता है।
- इसलिए, सरकार को सतत विकास, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच एक संतुलन हासिल करने के लिए, बाधाओं को लगातार हटाकर प्रगतिशील संशोधन करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर – 3

Topic:

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)- 2020 के मसौदे के प्रावधानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस पर राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल और वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा "आधुनिक दासता उन्मूलन" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी।
- विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस 2020 की थीम (Committed To The Cause- Working On The Frontline To End Human Trafficking) है।
- इस वर्ष की थीम मानव तस्करी के लिए प्रारंभिक उत्तरदाताओं (First Responders) पर केंद्रित है।

2. प्रारंभिक उत्तरदाता

- प्रारंभिक उत्तरदाता वे लोग होते हैं, जो मानव तस्करी के शिकार व्यक्तियों की पहचान करने, उनकी सहायता करने, परामर्श देने तथा उनके लिए न्याय दिलाने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, इसके अतिरिक्त 'प्रारंभिक उत्तरदाता' तस्करों को सजा दिलवाने की चुनौतियों से भी निपटते हैं।
- हालाँकि COVID-19 महामारी के दौरान, प्रारंभिक उत्तरदाताओं की अनिवार्य भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है, विशेष रूप से महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों ने उनके काम को और भी कठिन बना दिया है।

3. रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी, मुख्य रूप से यौन शोषण, बालात श्रम, जबरन भीख मंगवाने, बलात विवाह, बच्चों को बेचने तथा बाल-सैनिकों के रूप में भर्ती करने, और मानव अंगों को निकालने के लिए की जाती है।
- रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के शिकार कुल व्यक्तियों में 49% महिलायें तथा 23% लड़कियाँ होती हैं।
- यौन शोषण, मानव तस्करी का सबसे आम कारण है, तथा लगभग 59% मानव तस्करी यौन शोषण के लिए की जाती हैं,
- मानव तस्करी का दूसरा सबसे बड़ा कारण बलात श्रम है, बालात श्रम 34% लोगों से कराया जाता है।
- ज्यादातार मानव तस्करी देश की सीमाओं के भीतर होती है, इसके अतिरिक्त मानव तस्करी के शिकार कुछ व्यक्तियों को धनी देशों में बेचा जाता है।

4. संयुक्त राष्ट्र का ब्लू हार्ट अभियान

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा, मानव तस्करी और समाज पर इसके प्रभाव के बारे में वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए ब्लू हार्ट अभियान का आरंभ किया गया है।
- इसका उद्देश्य, इस जघन्य अपराध को रोकने तथा इसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकारों, कॉर्पोरेट क्षेत्र और आम नागरिकों को प्रोत्साहित करना है।
- इसके तहत, मानव तस्करी के शिकार व्यक्तियों के साथ एकता दिखाने तथा अभियान का प्रसार करने हेतु कार्यकर्ता ब्लू हार्ट छपे हुए कपड़े पहनते हैं।

6. भारत में मानव तस्करी निषेध हेतु प्रवधान

- भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 (1) के तहत मानव तस्करी को निषिद्ध किया गया है।
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 'The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (ITPA) व्यवसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून है।
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370A के तहत मानव तस्करी के खतरे से निपटने के लिए व्यापक प्रावधान किये गए है।
- यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012, के अंतर्गत बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए विशेष कानून बनाया गया है।
- भारत सरकार ने मानव तस्करी की रोकथाम के लिए-मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) बिल, 2018 का भी प्रावधान किया है।

5. मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस

- संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरूद्ध विश्व दिवस निश्चित किया गया है। इसे वर्ष 2013 में प्रस्ताव A/RES/68/192 के द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा व उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के इस दिवस को अपनाया जाना आवश्यक है।

02 विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में राजस्थान में ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां उभरकर सामने आयीं हैं, जिससे विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मुद्दा फिर से उभरकर सामने आया है।

2. पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि 2018 के अंत में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। परन्तु हाल ही में राजस्थान के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने कुछ ऐसे कार्य किये जिससे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन पर सरकार गिराने का आरोप लगाया।
- इसके उपरांत राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई और व्हिप भी जारी कर दिया परन्तु इस बैठक में उनके पूर्व उप-मुख्यमंत्री और उनके समर्थक विधायक शामिल नहीं हुए। जिसके परिणाम स्वरुप एक विधायक ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर के समक्ष बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने हेतु याचिका दायर कर दी।

3. विधानसभा की सदस्यता रद्द करने से संबंधित कानून/ नियम

- लोकसभा ने सदन में अनुशासन बनाये रखने हेतु 1985 में कुछ नियम बनाये थे:
  - लोकसभा के नियम संख्या 6 में वर्णित है कि कोई भी सांसद किसी अन्य सांसद/ सांसदों के विरुद्ध अयोग्यता से संबंधित याचिका दायर कर सकता है किन्तु उसे उक्त सांसद /सांसदों की अयोग्यता के लिए ठोस कारण भी अपनी याचिका में उल्लिखित करने होंगे।
  - इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष उक्त सांसद /सांसदों को नोटिस जारी करता है और सुनवाई के बाद योग्यता एवं अयोग्यता से संबंधित फैसला लेता है।
- लोकसभा के इन नियमों को धीरे-धीरे कमोबेश रूप से सभी राज्यों की विधानसभाओं ने भी अपना लिया।
- इसलिए हाल ही में उपर्युक्त नियम के आधार पर ही राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने राजस्थान के पूर्व-उपमुख्यमंत्री और उनके समर्थक विधायकों को नोटिस जारी किया है, अभी उन्होंने अयोग्यता संबंधित सुनवाई शुरू नहीं की है।
- परन्तु पूर्व उपमुख्यमंत्री और उनके समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी व्हीप को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है और हाई कोर्ट ने व्हीप संबंधित दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों को सुनना प्रारंभ कर दिया है ताकि अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों को जाँच-परखा जा सके।

4. हाई कोर्ट के निर्णय की आलोचना

- कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठें पहले ही सुन चुकी हैं और अपने ऐतिहासिक निर्णय सुना चुकी हैं। इस स्थिति में हाई कोर्ट को दल -बदल विरोधी कानून में वर्जित अयोग्यता संबंधित प्रावधानों को फिर से सुनने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। हाई कोर्ट को इस ओर ध्यान देना चाहिए था कि विधानसभा स्पीकर पार्टी की बैठक में न शामिल होने की अयोग्यता से संबंधित किन परिस्थितियों में सुनवाई कर सकता है या नहीं? इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट विधान सभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों की सुनवाई किन परिस्थितियों में कर सकता है?
- सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में अपने सुप्रसिद्ध मामले किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्लू (Kihato Hallohan vs Zachillhu) वाद में कहा था कि न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट या संसद या विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के मामले में सुनवाई कर सकती है किन्तु यह तभी करना चाहिए जब सुनवाई की अविलंब आवश्यकता हो अर्थात स्पीकर द्वारा सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय आने वाला ही हो या आ चुका हो।
- इसलिए आलोचकों का कहना है कि वर्तमान में राजस्थान के उप-मुख्यमंत्री तथा उनके समर्थक विधायकों के संबंध में दायर याचिका में राजस्थान हाई कोर्ट ने काफी ज्यादा तत्परता दिखाई ,जो उचित नहीं है,क्योंकि अभी राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने सिर्फ नोटिस ही जारी की थी न की किसी प्रकार की सुनवाई शुरू की थी।

5. दल-बदल विरोधी कानून एवं ह्वीप

- दल-बदल विरोधी प्रावधानों को दसवीं अनुसूची में 52 वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे 91 वें संविधान संसोधन 2003 के द्वारा पुनः संशोधित किया गया है।
- यह किसी दल के सदस्यों को दल-बदलने से रोकता है।
- गौरतलब है कि कोई राजनितिक पार्टी संसद अथवा विधानसभा में अपने सदस्यों की उपस्थिति, किसी विधेयक या अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा या वोटिंग हेतु अनिवार्य करने के लिए व्हीप जारी करती है और जो भी सदस्य इस ह्वीप का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधान लागू होते है, अर्थात इस कानून द्वारा उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है।

6. आगे की राह

- राजस्थान या अन्य राज्यों में ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सुझाव को अमल में लाया जा सकता है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों की अयोग्यता निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली बनाने का सुझाव दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 'जनप्रतिनिधियों की अयोग्यता की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसले से जुड़ी स्पीकर की शक्तियों के बारे में दोबारा विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि स्पीकर का संबंध किसी ना किसी राजनीतिक दल से होता है। इसके साथ ही सभी हितधारकों को भारत के लोकतंत्र में विश्वास करना चाहिए तथा राजनीतिक संकट के समय संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेने चाहिए ताकि महत्वपूर्ण संस्थाओं की साख अक्षुण्ण रहे और लोकतंत्र में सभी का विश्वास दृढ़ रहे।

03 10वीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों का विलय

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने राजस्थान में सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होने वाले अपने 6 विधायकों को वापस लाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
- इस संदर्भ में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विधानसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा सचिव तथा छह विधायकों को नोटिस भी जारी किया गया है।

2. पृष्ठभूमि

- पिछले विधान सभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने राजस्थान में छह सीटें जीतीं, लेकिन बसपा के सभी विधायक पिछले वर्ष सितंबर में कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। ऐसे में यदि छह विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया, तो सदन की प्रभावी शक्ति और सत्ताधारी दल का बहुमत कम हो जाएगा।
- हालांकि, स्पीकर ने अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

3. विवाद

- बसपा यह तर्क दे रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का विलय किए बिना राष्ट्रीय पार्टी की राज्य इकाई का विलय नहीं किया जा सकता है। पार्टी का तर्क है कि विधायक ना तो पार्टी छोड़कर गए, ना ही अलग पार्टी बनाई बल्कि उन्होंने विलय किया है जो कानूनी रूप से गलत है।
- इसके अलावा, बसपा के राष्ट्रीय सचिव ने छह विधायकों को व्हिप जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बहुमत परीक्षण होने पर वे कांग्रेस के विरुद्ध मतदान करें।

4. पूर्ववत मामले

- जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 2006 का निर्णय:
  - इस वाद में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एकल सदस्यीय पार्टियों के चार विधायकों जो चुनाव जीतने के पश्चात कांग्रेस में सम्मिलित हो गए थे, को अयोग्य घोषित करते हुए विधानसभा की सदस्यता निरस्त कर दी गयी थी।
- राजेंद्र सिंह राणा और अन्य बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य, 2007 का निर्णय:
  - वर्ष 2003 में उत्तरप्रदेश में बसपा के 37 विधायक (पार्टी की कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई), समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के लिए, अपनी पार्टी से अलग हो गए थे। उच्चत्तम न्यायलय ने निर्णय दिया कि, इस विभाजन को मान्यता नहीं दी सकती है, क्योंकि सभी विधायक एक साथ पार्टी से अलग नहीं हुए हैं।
- इन मामलों में स्पीकर के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। यहां स्पीकर के निर्णय को चुनौती नहीं दी गई और ना ही कोई आपत्ति जताई गई। इसलिए इस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पिछले दो निर्णय लागू नहीं होते हैं। साथ ही ये मामले अलग थे। उनमें दो-तिहाई सदस्यों की बात भी नहीं थी।

5. 10वीं अनुसूची में विलय का प्रावधान

- संविधान की दसवीं अनुसूची सरकारों की स्थिरता की रक्षा के लिए दलबदल पर रोक लगाती है लेकिन विलय पर रोक नहीं लगाती है।
- यदि कोई सदस्य 'विलय' (Merger) के परिणामस्वरूप एक दल से दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो ऐसा विलय तभी वैध माना जाएगा जब उस दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य अलग होकर नये दल में विलय करें।

6. आगे की राह

- इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा कहते हैं, "पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये मामला दल-बदल कानून के तहत नहीं आता। अगर किसी भी दल के दो-तिहाई सदस्य दूसरे दल में विलय करना चाहते हैं तो दसवीं अनुसूची उन्हें अधिकार देती है। राजस्थान में तो सभी सदस्यों ने ही विलय कर लिया था। स्पीकर ने उन्हें विलय की अनुमति भी दे दी थी।"
- "लेकिन, फिर भी बसपा इन विधायकों के विलय को लेकर स्पीकर के फैसले को चुनौती दे सकती है। ऐसे में बसपा के लिए बेहतर होगा कि वो व्हिप जारी करने के बजाए विलय के फैसले को चुनौती दे।"
- इसके अलावा अगर व्हिप जारी करने के बावजूद भी छह विधायक कांग्रेस के पक्ष में वोट देते हैं तो भी बसपा के पास क्या विकल्प बचता है? क्योंकि व्हिप के उल्लंघन के बावजूद भी सदस्यों का वोट गिना जाता है। हालांकि, विधायकों की अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की जा सकती है, इसमें भी बसपा विधानसभा स्पीकर से ही अपील कर सकती है।

04 कोविड 19 महामारी और कृषि क्षेत्र

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेहतर मानसून की संभावना को देखते हुए कृषि क्षेत्र कोरोना वायरस से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

2. प्रमुख बिन्दु

- औद्योगिक संगठन फिक्की के इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2020-21 में देश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 2.7 फीसद रह सकती है।
- भारत का खाद्यान्न उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है किन्तु चीन, ब्राजील और अमेरिका जैसे बड़े कृषि उत्पादक देशों की तुलना में भारत की कृषि उपज (यानी प्रति हेक्टेयर जमीन में उत्पादित होने वाली फसल की मात्रा) कम है।
- जनवरी, 2020 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भी वर्ष 2019-20 में कृषि विकास दर का अनुमान 2.8% ही जताया गया था। अगर कोरोना संकट ऐसे ही जारी रहा तो कृषि विकास दर एक बार पुनः नकारात्मक हो सकती है।

3. कोविड 19 महामारी का कृषि क्षेत्र पर प्रभाव

- भारत की आधे से अधिक जनसंख्या अभी भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और इससे सम्बद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। इसलिए इससे जुड़ी जनता कोविड-19 महामारी से काफी अधिक प्रभावित हुई है।
- रिवर्स माइग्रेशन यानी शहरों से ग्रामीण क्षेत्र में पलायन के कारण कृषि क्षेत्र पर आजीविका के लिए अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादों के लिए आपूर्ति-श्रृंखला (सप्लाई चेन) लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुई । इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट आदि के बंद होने से कृषि उत्पाद की मांग में कमी आई साथ ही कृषि सहायक गतिविधिया फूल, पोल्ट्री, मत्स्यिकी इत्यादि भी प्रभावित हुए।
- कोविड 19 महामारी के कारण कृषि आगतों जैसे वित्त, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी इत्यादि से जुड़ें गतिविधियों में आपूर्ति संबंधी समस्या देखी गयी है।

4. कोविड-19 महामारी में सरकारी पहल

- कोविड-19 संकट के दौरान भारत सरकार ने अपने विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से कृषि क्षेत्र के लिए मध्यम और दीर्घकालिक समाधान सहित विभिन्न राहत उपायों की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि किसान और खेतिहर मजदूरों द्वारा लॉकडाउन के दौरान भी खेती के कार्यों का संचालन जारी रहेगा। फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) के संचालनों में भी ढील दी गई।
- कृषि मशीनरी और इनके स्पेयर पार्ट्स (आपूर्ति श्रृंखला सहित) और मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी। कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनों जैसे कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि / बागवानी उपकरणों की निर्बाध, अंतर और अंतर्राज्यीय आवाजाही को सुनिश्चित किया गया था।
- सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को भौतिक रूप से थोक मंडियों में जाये बिना अपनी उपज बेचने में मदद करने के लिए ई-एनएएम प्लेटफॉर्म (e-NAM platform) पर नई सुविधाएँ शुरू की हैं।
- एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल (FPO trading module) में व्यवस्था की गयी है जिससे किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) अपनी उपज को कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) तक लाए बिना एक संग्रह केंद्र (collection centre) पर बेच सकते हैं।
- भारत सरकारा द्वारा हाल ही में कृषि क्षेत्र से संबन्धित दो अध्यादेश भी लाये गए हैं-
- किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश, 2020 (The Farmers Produce Trade and Commerce Ordinance, 2020)
- मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसानों का समझौता अध्यादेश, 2020 (The Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020) इन अध्यादेशों की मदद से किसान पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल अचित दामों में आसानी से बेंच सकते हैं।
- 'एक जिला, एक उत्पाद' (ODOP) मोटो के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 तक पूरे देश में लगभग 10000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) की स्थापना का लक्ष्य रखा है।

5. आगे की राह

- कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक अवरोध को हटाये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए उत्पादों के भंडारण और क्रय-विक्रय केंद्रों की व्यवस्था करते हुए कृषि को एक लाभप्रद व्यापार के रूप में बदलने में की आवश्यकता है जिससे एक बड़ी आबादी गांव में ही रुक जाए एवं कृषि क्षेत्र की संभावनाओं का पूर्ण दोहन किया जा सके।

05 सीसा विषाक्तता पर यूनिसेफ की रिपोर्ट

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में यूनिसेफ और एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन, 'प्योर अर्थ' (Pure Earth) की रिपोर्ट द टॉक्सिक ट्रूथ: चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लेड पॉल्यूशन अंडरमाइंस ए जनरेशन ऑफ पॉटेंशियल (The Toxic Truth Childrens exposure to lead pollution undermines a generation of potential) के नाम से सामने आई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनियाभर के करीब 80 करोड़ बच्चों के खून में जहरीला सीसा धातु का स्तर पांच माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे भी ज्यादा है।

2. वजह क्या है?

- इसकी सबसे बड़ी वजह, एसिड बैटरियों के डिस्पोजल से जुड़ी लापरवाही बतायी जा रही है। इसकी वजह से बच्चों की इतनी बड़ी संख्या के लिए लेड पॉयजन का खतरा उत्पन्न हुआ है।

3. प्रमुख बिन्दु

- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के लगभग तीन चौथाई बच्चे (लगभग 800 मिलियन) सीसा (लेड) धातु के जहर के साथ जीने को मजबूर हैं।
- यूनिसेफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का हर तीसरा बच्चा लेड जहर के साथ जी रहा है। इस रिपोर्ट की दूसरी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस जहर का मजबूरन सेवन करने वाले आधे बच्चे दक्षिण एशियाई देशों में रहते हैं जबकि भारत में सीसा से 27.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हैं।
- यूनिसेफ के मुताबिक बच्चों के रक्त में मौजूद सीसा धातु के गम्भीर दुष्परिणाम हो सकते हैं जिससे छुटकारा पाने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है।

4. लेड एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन

- लेड एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है यानी दिमाग की नसों पर असर करने वाला जहर है। यह विशेष रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं और बच्चों के लिए घातक होता है, क्योंकि यह उनके मस्तिष्क को पूरी तरह से विकसित होने से पूर्व ही क्षति पहुंचाता है, जिससे उन्हें आजीवन तंत्रिका-तंत्र संबंधी (Neurological), संज्ञानात्मक (Cognitive) तथा शारीरिक विकलांगता होने का संकट रहता है।
- अजन्मे बच्चों और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सीसा के कारण अधिक जोखिम हो सकता है। उनमें इस कारण हमेशा के लिए मानसिक और कॉग्निटिव समस्याएं यानी समझ और बुद्धिमत्ता की कमी और स्थायी शारीरिक हानि भी हो सकती है।

5. सीसा विषाक्त का कारण

- सीसा विषाक्तता का प्रमुख कारण लेड एसिड बैटरी का असुरक्षित तरीके से री-साइक्लिंग करना है। लेकिन इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कचरा, खनन और मसालों में इसके इस्तेमाल, पेंट, बच्चों के खिलौने भी सीसा के अहम स्रोत हो सकते हैं।
- साल 2000 के बाद से गरीब और कम आय वाले देशों में गाड़ियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है और इस कारण लेड एसिट बैटरी के इस्तेमाल और इनकी रीसाइक्लिंग में भी इजाफा हुआ है. इनकी री-साइक्लिंग कई बार असुरक्षित तरीके से की जाती है।
- दुनिया में लेड का जितना कुल उत्पादन होता है उसके 85 फीसदी हिस्से का इस्तेमाल लेड एसिड बैटरी बनाने में होता है. इसका एक बड़ा हिस्सा गाड़ियों में इतेमाल होने वाले लेड बैटरी की रीसाइक्लिंग से आता है।
- अनियंत्रित तरीके से और अधिकतर अवैध रूप से होने वाले इस रीसाइक्लिंग के काम में लेड बैटरी को असुरक्षित तरीके से खोला जाता है। इस कारण एसिड और लेड डस्ट जमीन पर गिरता है, खुली भट्टियों में लेड को पिघलाया जाता है जिससे इसका जहरीला धुंआ हवा में फैलता है और आस पास के पूरे इलाके को प्रदूषित करता है।

6. आगे की राह

- भारत में साल 2000 में लीड वाले ईंधन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब देश में इस्तेमाल होने वाले पेंट्स में भी लीड की मात्रा सीमित कर 90 पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन) करने की जरूरत है।

06 लेबनान में विस्फोट

1. चर्चा का कारण

- लेबनान की राजधानी बेरूत के बन्दरगाह में रखे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट होने से 200 से भी अधिक लोगों की जान चली गयी है और हजारों की संख्या में लोग घायल हुये हैं। बेरुत में जिस जगह पर ये धमाके हुए वहां से 150 मील की दूरी पर पूर्वी भूमध्य सागर के द्वीपीय देश साइप्रस में भी धमाके की गूंज सुनी गई।

2. प्रमुख बिन्दु

- साल 2013 में जब्त किए गए एक जहाज से 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था और तभी से यह बन्दरगाह के नजदीक एक वेयरहाउस में रखा गया था। विस्फोट से 10 अरब डॉलर से लेकर 15 अरब डॉलर के नुकसान की आशंका व्यक्त की गयी है। वहीं धमाके के बाद करीब तीन लाख लोग बेघर हो गए।

3. अमोनियम नाइट्रेट

- अमोनियम नाइट्रेट, एक रंगहीन, गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह जल में अत्यधिक घुलनशील है, जल में घुलित अमोनियम नाइट्रेट के घोल को गर्म करने पर यह नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। यह खनन और निर्माण में प्रयुक्त वाणिज्यिक विस्फोटकों के निर्माण में उपयोग होने वाला मुख्य घटक है।
- इसका उपयोग कृषि उर्वरकों और अन्य नाइट्रोजन समृद्ध यौगिक के लिए किया जाता है। अमोनियन नाइट्रेट अपने आप में विस्फोटक नहीं है लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में ये ज्वलीनशील पदार्थ है। जब इसका विस्फोट होता है तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया जैसी जहरीली गैस छोड़ता है।
- इसके भंडारण के लिए सख्त नियम होते हैं। जिस जगह ये रखा जाता है, वो फायर प्रूफ होना चाहिए। इसके रखने की जगह पर किसी तरह का कोई नाला या पाइप या कोई अन्य रास्ता नहीं चाहिए।

4. लेबनान पर दोहरी मार

- लेबनान में ये धमाके एक बहुत ही संवेदनशील समय में हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में पहले से जगह की कमी है। लेबनान अपनी जरूरत की खाने-पीने की चीजें आयात करता है इस घटना से देश में खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा होने की आशंका जताई जा रही है।
- लेबनान में बेरोजगारी चरम पर है। लेबनान पर 92 अरब डॉलर का कर्ज है जो कि उसकी जीडीपी के 170 फीसदी के आसपास है। देश की आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती है और करीब 35 फीसदी लोग बेरोजगार हैं।

5. लेबनान के बारे में

- लेबनान पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है जिसे रिपब्लिक ऑफ लेबनान भी कहते हैं।
- इसकी राजधानी बेरूत है, इसकी पूर्वी और उत्तरी सीमा सीरिया से लगती है, जबकि इसकी दक्षिणी सीमा में इजराइल है। इसके पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित है।

6. भारत में अमोनियम नाइट्रेट को लेकर कड़े कानून

- भारत में अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री या उपयोग के लिए निर्माण, रूपांतरण, बैगिंग, आयात, निर्यात, परिवहन, कब्जे आदि अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के तहत किया जाता है। इस नियम के अनुसार इस रसायन को किसी रिहायशी इलाके में स्टोर नहीं किया जा सकता है। अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम 1951 के तहत एक लाइसेंस की जरुरत होती है।
- भारत में विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 में अमोनियम नाइट्रेट को NH_4NO_3 सूत्र के साथ यौगिक के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में इस रसायन का उपयोग औद्योगिक विस्फोटकों, एनेस्थेटिक गैस, उर्वरकों, कोल्ड पैक के उत्पादन में किया जाता है। ऐसे में इसके दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ जाती है। जिसके कारण इसके उपयोग को लेकर नियम बनाए गए हैं।

07 स्मॉग टावर

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण (Air pollution) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्मॉग टावर न लगने पर फिर नाराजगी जताई है।

2. प्रमुख बिन्दु

- सर्दी के समय दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है जिससे वहाँ सांस लेना दुभर हो जाता है। इसी को लेकर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने स्मॉग टावर लगाने का आदेश दिया था।
- इससे पहले, केन्द्र ने 30 जुलाई को न्यायालय को सूचित किया कि पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में स्मॉग टावर लगाने के लिये सहमति पत्र तैयार हो गया है और इस पर सभी हितधारक हस्ताक्षर करेंगे।

3. स्मॉग टावर क्या है?

- स्मॉग टावर एक बहुत बड़ा एयर प्यूरीफायर है, जिसे बड़े पैमाने पर वायु शोधक के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- स्मॉग टॉवर अपने आस-पास की प्रदूषित हवा को सोख लेता है और फिर इसमें लगे कई फिल्टरों की सहायता से इसे साफ करके दुबारा पर्यावरण में छोड़ देता है। एक एयर प्यूरीफायर जितना बड़ा होगा, उतनी ही अधिक हवा को साफ करेगा। इनको बिजली और सोलर पॉवर से भी चलाया जा सकता है।

4. वैश्विक स्थिति

- नीदरलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया और पोलैंड के शहरों में हाल के वर्षों में स्मॉग टावरों का प्रयोग किया गया है। इस तरह का पहला टॉवर 2015 में, नीदरलैंड के रोटरडैम में बनाया गया था (यह इसके चारों ओर 30,000 क्यूबिक मीटर हवा प्रति घंटे फिल्टर कर सकता है)। विशेषज्ञों ने कहा है कि टावर शहर में "स्वच्छ वायु क्षेत्र" बनाएंगे।

5. नीति आयोग के सुझाव

- क्लीन निर्माण परियोजनाएं - नीति आयोग के मुताबिक ऐसी निर्माण परियोजनाएं बननी थीं, जिनसे प्रदूषण न फैले। हवा साफ-सुथरी रहे। इसके तहत ही शहर में स्मॉग फ्री टॉवर लगाए जाने चाहिए ताकि दूषित हवा को स्वच्छ हवा में बदला जा सके।
- पर्यावरण नुकसान का आंकलन - शहर में हो रहे विभिन्न निर्माण व ध्वस्तीकरण कार्यों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का मूल्यांकन प्रदूषण बोर्ड को करना चाहिए । नीति आयोग एक्शन प्लान में निर्माण परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति व जोखिम का मूल्यांकन किया गया है।
- लागू हों ग्रीन बिल्डिंग मानक - प्रदूषित शहरों के लिए बने एक्शन प्लान में आयोग ने निर्माणाधीन बिल्डिंगों व नए प्रोजेक्ट्स का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग के मापदण्ड के आधार पर करने का सुझाव दिया। ऐसी बिल्डिंगों को ग्रीन बिल्डिंग की रेटिंग मिलेगी।
- रेडीमेड कंक्रीट का इस्तेमाल - निर्माण कार्यों के दौरान सीमेंट, रेत व मिट्टी के सूक्ष्म कण हवा में न पहुंच पाएं और धूल-मिट्टी हवा में न उड़े, साथ ही वायु गुणवत्ता न बिगड़े। इसके लिए निर्माण कार्यों के दौरान रेडीमेड कंक्रीट के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया।

6. लाभ

- अगर सिर्फ 2.5 पीएम डब्लूएचओ के मानक पर आ जाता है तो लोगों की औसत आयु चार वर्ष बढ़ जाएगी। खतरनाक वायु प्रदूषण के स्तर की वजह से लोग अपनी औसत आयु से छह साल गंवा रहे हैं। अगर डब्लूएचओ मानकों को पूरा किया गया तो लोगों की औसत उम्र नौ साल तक बढ़ सकती है।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस

प्र. विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यौन शोषण, मानव तस्करी का सबसे बड़ा कारण है।
2. मानव तस्करी के शिकार के कुल व्यक्तियों में 49% महिलाएं तथा 23% लड़कियां होती हैं।
3. विश्व मानव तस्करी दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 30, जुलाई 2013 को अपनाया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस पर राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल और वॉक फ्री फॉउण्डेशन द्वारा "आधुनिक दासता उन्मूलन" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी। विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अत: उत्तर (b) होगा।

02 विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता

प्र. विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. दल-बदल विरोधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था।
2. इसमें 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा पुन: संशोधित किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में राजस्थान में ऐसी राजनीतिक परिस्थितियाँ सामने आयी हैं जिससे विधानसभा सदस्यों की आयोग्यता से संबंधित मुद्दा फिर से उभरकर सामने आया है। विधानसभा सदस्यों की आयोग्यता के संदर्भ में उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। अत: उत्तर (c) होगा।

03 10वीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों का विलय

प्र. 10वीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों का विलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. संविधान की 10वी अनुसूची सरकारों की स्थिरता की रक्षा के लिए दल-बदल पर रोक लगाती है।
2. यदि कोई सदस्य 'विलय' (Merger) के परिणामस्वरूप एक दल से दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो ऐसे विलय तभी वैध माना जाएगा जब उस दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य अलग होकर नये दल में विलय करें।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) न तो 1 नहीं 2 (d) उपरोक्त दोनों

उत्तर: (d)

व्याख्या: विदित हो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को संविधान में अंत: स्थापित किया गया है। 10वीं अनुसूची के संदर्भ में उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। अत: उत्तर (d) होगा।

04 कोविड-19 महामारी और कृषि क्षेत्र

प्र. कोविड-19 महामारी और कृषि क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. फिक्की के इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र की विकास दर 2.7 फीसदी रह सकती है।

2. भारत का खाद्यान्न उत्पादन प्रत्येक वर्ष घट रहा है।
3. चीन, ब्राजील और अमेरिका जैसे बड़े कृषि उत्पादक देशों की तुलना में भारत की कृषि उपज कम है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 2 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या: हाल ही में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में कृषि क्षेत्र कोरोना वायरस से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का खाद्यान्न उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है (न कि घट रहा है) इस प्रकार कथन 2 गलत है। इस संदर्भ में कथन 1 और 3 सही हैं। अत: उत्तर (a) होगा।

05 सीसा विषाक्तता पर यूनिसेफ की रिपोर्ट

प्र. सीसा विषाक्तता पर यूनिसेफ की रिपोर्ट के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें-

(a) दुनिया के लगभग तीन चौथाई बच्चे सीसा धातु के जहर के साथ जीने को मजबूर हैं।
(b) इसका सेवन करने वाले आधे बच्चे दक्षिण एशियाई देशों में रहते हैं।
(c) भारत में सीसा से 50.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हैं।
(d) सीसा विशेष रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए घातक है।

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में यूनिसेफ तथा गैर-लाभकारी संगठन प्योर अर्थ में "The Toxic Truths Childrens exposure to lead Pollution Undermines a generation of potential." नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 80 करोड़ बच्चों के खून में सीसा धातु का स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे भी ज्यादा है। भारत में सीसा से 27.5 करोड़ (न कि 50.5 करोड़ बच्चे) बच्चे प्रभावित हैं। इस प्रकार कथन (c) गलत हैं। अत: उत्तर (c) होगा।

06 लेबनान में विस्फोट

प्र. लेबनान में विस्फोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अमोनियम नाइट्रेट, एक रंगहीन, गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है।
2. जल में अत्यधिक घुलनशील होने के कारण जल में घुलित अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर यह नाइट्रस आक्साइड में बदल जाता है।
3. यह खनन और निर्माण में प्रयुक्त वाणिज्यिक विस्फोटकों के निर्माण में उपयोग होने वाला मुख्य घटक है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह में रखे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट होन से 200 से अधिक लोगों की जान चली गई। अमोनियम नाइट्रेट के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अत: उत्तर (c) होगा।

07 स्मॉग टावर

प्र. स्मॉग टावर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. स्मॉग टावर एक बहुत बड़ा एयर प्यूरीफायर है, जिसे बड़े पैमाने पर वायु शोधक के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
2. स्मॉग टॉवर अपने आस-पास की प्रदूषित हवा को 'सोख लेता है जो इसमें लगे अनेक फिल्टरों की सहायता से इसे साफ करके दूबारा पर्यावरण में छोड़ देता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) न तो 1 नहीं 2 (d) 1 और 2 दोनों

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्मॉग टावन न लगने पर फिर नाराजगी जताई है। स्मॉग टॉवर के संदर्भ में उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। अत: उत्तर (d) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

चर्चा का कारण

- हाल ही में रक्षा मंत्रालय के डीडीपी, डीपीएसयू और ओएफबी द्वारा मिलकर शुरू किए जा रहे आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के उद्घाटन के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने डिजिटल लिंक के माध्यम से रक्षा पीएसयू और ओएफबी द्वारा निर्मित किए गए नए बुनियादी ढाँचे के निर्माण के साथ-साथ अन्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के प्रयासों की शुरुआत की।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आह्वान किया था कि हमें पाँच आई पर ध्यान देने की आवश्यकता है, यथा इंटरनेट (Intent), समावेश (Inclusion), निवेश (Investment), बुनियादी ढांचा (Infrastructure) और नवाचार (Innovation)।
- रक्षा मंत्रालय की उपर्युक्त पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान के विजन के तहत शुरू की गयी है।

रक्षा वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादन की सूची

- हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत अहम घोषणा करते हुए कहा कि रक्षा वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाई है। जिन 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है, उसमें बड़ी बंदूकों से लेकर मिसाइल तक शामिल हैं।
- इससे रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही भारतीय रक्षा उद्योग को बड़े अवसर मिलेंगे।
- इन उपकरणों पर रोक लगाने की यह कवायद 2020 से 2024 के बीच पूरी की जाएगी।
- भारत सरकार की मंशा है कि आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र के अन्य उपकरणों को भी इस सूची में सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही सेनाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं के उत्पादन की समयसीमा सुनिश्चित हो, इसके लिए भी उचित कदम उठाए जाएंगे।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

- मई 2020 में कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ किया था।
- 21वीं सदी के दूसरे दशक में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है। वर्तमान के वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता, आत्म केंन्द्रिता से अलग है।
- भारत ऐतिहासिक काल से ही वसुधैव कुटुंबकम् की संकल्पना में विश्वास करता आया है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान में वैश्वीकरण का बहिष्करण या संरक्षणवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी।
- प्रधानमंत्री का मानना है कि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अत: भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देगा।

पाँच स्तंभ

- आत्मनिर्भर भारत अभियान के पाँच स्तंभ निम्न हैं –

1. **अर्थव्यवस्था (Economy):** इसमें बड़ी उछाल (Quantum Jump) आनी चाहिए।
2. **मांग (Demand):** भारत में मांग काफी अधिक है, अत: भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग करने पर बल प्रदान किया जाना चाहिए।
3. **गतिशील जनसांख्यिकी (Vibrant Demography):** यह आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है।
4. **प्रौद्योगिकी (Technolog):** 21 वीं सदी में प्रौद्योगिकी के महत्व को हर क्षेत्र में आत्मसात करना होगा।
5. **अवसंरचना (Infrastructure):** यह आधुनिक भारत के अनुरूप हो।

02 राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन

चर्चा का कारण

- हाल ही में वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) हेतु एक ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारम्भ किया है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- न्यू इंडिया में आधारभूत परियोजनाओं से जुड़ी जानकारियों को देखने के लिए सभी हितधारकों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में ऑनलाइन डैशबोर्ड की परिकल्पना की गई है।
- डैशबोर्ड, इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड (आईआईजी) पर दिखाई दे रहा है। आईआईजी एक संवादात्मक और गतिशील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां देश में अद्यतन और रियल टाइम निवेश के अवसरों का प्रदर्शन किया जाता है।

इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड (आईआईजी)

- आईआईजी, वैश्विक निवेशकों के लिए भारत में निवेश के सर्वश्रेष्ठ अवसरों के प्रदर्शन के लिए एक संवादात्मक और गतिशील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
- इन्वेस्ट इंडिया, द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी द्वारा विकसित और प्रबंधित आईआईजी भारत में निवेश के गेटवे के रूप में सेवाएं देता है। इसे दुनिया भर में स्थित भारतीय मिशनों और दूतावासों द्वारा व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी)

- एनआईपी देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने और सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में अपनी तरह की एक अनूठी पहल है।
- वर्ष 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगले 5 वर्षों में आधारभूत अवसंरचना के विकास हेतु 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे जीवन स्तर में सुधार के साथ ही नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- इसी का अनुसरण करते हुए 31 दिसंबर, 2019 को 103 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शुरू की गई।
- अप्रैल 2020 में 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline- NIP) पर गठित 'टास्क फोर्स' (Task Force) ने वित्त वर्ष 2020-25 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित बुनियादी ढांचा निवेश के साथ राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर एक अपनी अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी थी।
- इस प्रकार 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline-NIP) के अंतर्गत वर्ष 2020-25 के दौरान आधारभूत ढांचा परियोजनाओं में 100 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत 6500 से अधिक परियोजनाएँ शुरू की जाएंगी।

लाभ

- एनआईपी से आत्मनिर्भर भारत के विजन को प्रोत्साहन मिलेगा।
- आईआईजी पर एनआईपी परियोजनाओं की उपलब्धता से परियोजनाओं की अद्यतन जानकारियों तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी और पीपीपी परियोजनाओं के लिए निवेशकों को लुभाना आसान हो जाएगा।
- एनआईपी से परियोजना की तैयारी में सुधार होगा, बुनियादी ढांचा में निवेश (घरेलू और विदेशी दोनों) आकर्षित होगा।
- एनआईपी, वित्त वर्ष 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में तब्दील करने के लक्ष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

03 पैतृक संपत्ति में बेटी का हक

चर्चा का कारण

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिए गए अपने एक फैसले में कहा है कि पैतृक संपत्ति में बेटी भी जन्म से ही बराबरी की हकदार है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की 'धारा 6' में संशोधन किया गया था। इस संसोधन के द्वारा बेटों की तरह बेटियों को भी पिता की संपत्ति (पैतृक संपत्ति) में बराबरी का हक प्रदान किया गया। अब बेटियाँ भी पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा ले सकती थीं।
- सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने एक मामले में निर्णय दिया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा 6 में 2005 में किया गया संसोधन पूर्व से लागू नहीं होगा अर्थात वर्ष 2005 के बाद से ही हिन्दू अविभाजित परिवार में बेटियों को बेटों के बराबर पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल पाएगा। कोर्ट ने कहा था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की संशोधित 'धारा 6' तभी लागू होगी जबकि कानून संशोधन की तारीख को पिता और बेटी दोनों जीवित हों।
- सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकायें दायर की गईं। इसी के चलते हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों के पीठ ने 'विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा' के मामले में अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का तात्कालिक निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पैतृक संपत्ति के बंटवारे में पुरुषों की प्राथमिकता को सिरे से खत्म करते हुए अविभाजित हिन्दू परिवार के लिए एक बड़ा फैसला दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने 2005 में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 6 की पहले की व्याख्या बदल दी है।
- तीन जजों की पीठ ने कहा कि 9 सितंबर, 2005 को पिता जिंदा थे या नहीं, बेटी का जन्म भी इस तारीख से पहले हुआ या बाद में, इसका पुश्तैनी संपत्ति में अधिकार से कोई लेना-देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने साफ कहा कि जिस तरह पैतृक संपत्ति में बेटों का अधिकार होता है, उसी तरह बेटियों का भी जन्मजात अधिकार है।

लाभ

- भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पैतृक संपत्ति में बेटियों की बराबर की हिस्सेदारी पर दिये गए निर्णय का स्वागत किया है।
- उन्होने कहा कि कोर्ट के इस निर्णय से लैंगिक समानता के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी सहूलियत मिलेगी।

04 समुद्र में तेल रिसाव

चर्चा का कारण

- हिंद महासागर स्थित में भारत के पड़ोसी मॉरीशस (Mauritius) ने देश के दक्षिण-पूर्वी तट पर फंसे जापान के स्वामित्व वाले एक जहाज से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद 'पर्यावरणीय आपातकाल' (environmental emergency) की घोषणा कर दी है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- एमवी वाकाशिवो नामक जापानी तेल टैंकर 25 जुलाई से मॉरीशस के दक्षिण-पूर्वी तट पर फंसा हुआ है। मॉरीशस सरकार का कहना है कि जहाज के निचले हिस्से में दरारें आ गई हैं और तेल का रिसाव तेजी से हो रहा है।
- इस खतरे को देखते हुए मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने पर्यावरणीय आपातकाल स्थिति की घोषणा कर दी है।
- फ्रांस ने अपने रीयूनियन द्वीप (मॉरीशस के समीप फ्रांस के स्वामित्व वाला द्वीप) से प्रदूषण नियंत्रण करने वाले उपकरणों के साथ सैन्य विमान, मॉरीशस की मदद के लिए भेजे हैं।

कानून

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल रिसाव से हुई क्षति के लिये पर्याप्त, शीघ्र तथा प्रभावी क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 'इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लायबिलिटी ऑफ बेकर ऑयल पॉल्यूशन डैमेज, 2001' है। जिसका भारत ने भी अनुसमर्थन किया है।
- भारत के अन्दर तटवर्ती और समुद्री क्षेत्रों को तेल रिसाव से होने वाली क्षति से रक्षा करने हेतु 1980 से तेल रिसाव प्रबंधन कार्यक्रम बना था।
- भारत में तेल रिसाव आपदा के मामले में संकट प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है तथा तेल रिसाव होने की स्थिति में भारत के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव प्रदूषण से निपटने के लिए तटरक्षक बल समन्वयकारी एजेंसी है।

मॉरीशस

- मॉरीशस गणराज्य, हिंद महासागर में अफ्रीकी महाद्वीप के तट के दक्षिण-पूर्व और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। मॉरीशस के दक्षिण-पश्चिम में फ्रांसीसी रीयूनियन द्वीप स्थित है।
- औपनिवेशिक युग में मॉरीशस पहले फ्रांस के आधीन था तथा बाद में ब्रिटिश स्वामित्व में आ गया था।
- मॉरीशस, हिंद महासागर आयोग (आईओसी) का सदस्य देश है तथा इस आयोग का मुख्यालय एबेने (मॉरीशस) में अवस्थित है।
- उल्लेखनीय है कि आईओसी, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में एक क्षेत्रीय मंच है जिसमें पांच राष्ट्र शामिल हैं- कोमोरोस, फ्रांस (रीयूनियन), मेडागास्कर, मॉरीशस और सेशेल्स।
- सन 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने ब्रिटेन से कहा है कि वह चागोस द्वीप समूह को खाली कर उसे मॉरीशस को वापस लौटा दे। भारत ने चागोस द्वीपसमूह के मामले में मॉरीशस का समर्थन किया है।

05 गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)

चर्चा का कारण

- हाल ही में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन (एनपीपीसी) के चौथे संस्करण के उद्घाटन के दौरान केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग और रेल मंत्री ने आह्वान किया कि अधिक से अधिक खरीदारों और विक्रेताओं को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) में शामिल होना चाहिए।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)

- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace - GeM), एक आधुनिक व स्टेट आफ आर्ट (State of the Art) तकनीक से बना राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद मंच (National Public Procurement Platform) है।
- इसे वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य संभावित विक्रेताओं को एक ऐसा आधुनिक और सुविधाजनक मंच प्रदान करना है जिससे वे अपने उत्पादों को सरकार की आवश्यकतानुसार बिना किसी रुकावट के उपलब्ध करा सकें।

- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के द्वारा उन तरीकों में बदलाव लाना है जिनमें सरकारी मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्र सरकार के अन्य शीर्ष स्वायत्त निकायों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी की जाती है।

जीईएम की सुविधायें

- आवश्यक वस्तु व सेवाओं को श्रेणीवार रुप से उपलब्ध कराना।
- वस्तुओं को देखना, अनुमान लगाना, मूल्य का तुलनात्मक विश्लेषण करना व आकर्षक कीमतों पर खरीद उपलब्ध कराना।
- सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं को ऑनलाइन खरीदने की व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- खरीददारी में सुगमता व पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- विक्रेता मूल्यांकन व्यवस्था।
- वापसी नीति की व्यवस्था।

जीईएम के लाभ

- यह पारदर्शिता बढ़ाता है जिससे खरीददारी में भ्रष्टाचार या ऐच्छिक गतिविधियों को कम किया जा सकता है।
- यह खरीददारी व्यवस्था को और प्रभावी बनाता है जिससे कम समय में बेहतर ढ़ंग से सार्वजनिक खरीददारियों को पूरा किया जाता है।
- इससे सरकारी समय और धन की बचत होती है।
- यह सार्वजनिक खरीददारी प्रक्रिया को सुरक्षित व नियमित बनाता है।
- यह सरकारी खजाने की बचत को भी बढ़ाता है।

06 विश्व स्तनपान सप्ताह

चर्चा का कारण

- कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह अगस्त माह के पहले सप्ताह 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया गया।
- विश्व स्तनपान सप्ताह-2020 की थीम 'स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन' (Support breastfeeding for a healthier planet) है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- बच्चे के लिए मां का दूध बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है जिससे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, नवजात शिशु के लिए पीला गाढ़ा चिपचिपा युक्त मां का दूध कोलेस्ट्रम युक्त संपूर्ण आहार होता है, जिसे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर ही शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा सामान्यत: बच्चे को 6 महीने की अवस्था तक नियमित रूप से स्तनपान कराते रहना चाहिए।

विश्व स्तनपान सप्ताह

- विश्व स्तनपान सप्ताह, प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है।
- वर्ल्ड एलायंस फॉर ब्रेस्टफीडिंग एक्शन (डब्ल्यूएबीए), विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन करता है।
- डब्ल्यूएबीए द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह पहली बार 1992 में मनाया गया था और अब इसे यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और लगभग 120 से अधिक देशों में वहाँ के व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों द्वारा मनाया जाता है।

विश्व स्तनपान सप्ताह के उद्देश्य

- माताओं में स्तनपान को लेकर जागरूकता पैदा करना।
- माँ को स्तनपान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- स्तनपान के महत्व से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराना।

स्तनपान के फायदे

- स्तनपान मां और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।
- यह प्रारंभिक अवस्था में दस्त और तीव्र श्वसन संक्रमण जैसे संक्रमणों को रोकता है और इससे शिशु मृत्यु दर में कमी आती है।
- यह मां में स्तन कैंसर, अंडाशय के कैंसर, टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग विकसित होने के खतरे को कम करता है।

- यह नवजात को मोटापे से संबंधित रोगों, डायबिटीज से बचाता है और आईक्यू बढ़ाता है।
- पोषण को लेकर इस तरह के महत्वपूर्ण प्रयासों से कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ने और सरकार को राष्ट्रीय पोषण लक्ष्यों एवं सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने में मदद मिलेगी।

07 भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016

चर्चा का कारण

- आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) नियम, 2017 में संशोधन किया है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- हाल ही में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 एक कॉर्पोरेट व्यक्ति को स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम बनाती है, यदि उस पर कोई ऋण नहीं है या वह परिसंपत्तियों की आय से अपने ऋण का पूरी तरह से भुगतान करने में सक्षम है।
- कॉरपोरेट व्यक्ति, सदस्यों या भागीदारों या योगदानकर्ताओं (मामले के अनुसार) के प्रस्ताव के द्वारा स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया का संचालन करने के लिए एक दिवाला पेशेवर (इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल)नियुक्त कर सकता है। हालांकि, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जिनमें परिसमापक (लिक्वीडेटर) के रूप में एक और प्रस्तावित पेशेवर की नियुक्ति की आवश्यकता हो सकती है।
- नियमों में आज किए गए संशोधन में यह प्रावधान है कि कॉरपोरेट व्यक्ति लिक्विडेटर के स्थान पर किसी अन्य दिवाला पेशेवर (इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल) को सदस्यों या साझेदारों या योगदानकर्ताओं (मामले के अनुसार) के एक प्रस्ताव के द्वारा लिक्विडेटर के रूप में नियुक्त कर सकता है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016

- लोक सभा ने 5 मई 2016 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक (2016) पारित किया था। इसके बाद यह संहिता कानून बन गयी।
- इसमें दिवाला संबंधी मामलों का समयबद्ध तरीके से समाधान निकालने का प्रावधान किए गये हैं।
- इसका उद्देश्य देश में कारोबार के माहौल को अच्छा बनाना और निवेश को प्रोत्साहित करना है ताकि उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल की जा सके। दूसरे शब्दों में कहें तो इस संहिता का उद्देश्य कारपोरेट व्यक्तियों और फर्मों तथा व्यक्तियों के दिवाला समाधान, परिसमापण और शोधन क्षमता के लिए न्यायनिर्णय प्राधिकरणों के रूप में करने के लिए है।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (2016), प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'रिफार्म इंडिया और ट्रांसफार्म इंडिया' की सोच के तहत लायी गयी है।
- इससे आर्थिक सुधारों की दिशा में उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं और एनपीए को भी कम करने में सफलता प्राप्त हो रही है।
- जब कई कानूनों में एकसाथ सुधार करना होता है तो विधायिका द्वारा संहिता लायी जाती है। इसलिए उपर्युक्त संहिता भी प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेन्सी एक्ट (1909) और प्रोवेंशियल इन्सॉल्वेन्सी एक्ट (1920) को रद्द करती है तथा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, सेक्यूरिटाईजेशन एक्ट, कंपनी एक्ट आदि कानूनों में संशोधन करती है।

प्रावधान

- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (2016) में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान हैं-
- संहिता के मुताबिक कारपोरेट क्षेत्र और व्यक्तियों से सम्बंधित दिवाला मामलों का समाधान 180 दिनों में होगा।
- संहिता में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि पेशेवरों, एजेंसियों और सूचना सेवाओं के क्षेत्र में कंपनियों, गठजोड़ फर्म और व्यक्तियों के दिवालिया होने के विषयों का नियमन किया जा सके।
- राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) कंपनियों के लिए दिवाला संकल्प पर निर्णय करेगा।
- ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) व्यक्तियों के लिए दिवाला संकल्प पर निर्णय करेगा।
- संहिता के तहत आदतन चूककर्ताओं के विदेशों में स्थित सम्पत्ति को जब्त किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने कई देशों के साथ सीमापार संधि (क्रास बोर्डर ट्रिटी) की है।
- संहिता के मुताबिक, जो कंपनी अपना कर्ज नहीं चुका पा रही तो ऐसी किसी कंपनी पर 180 दिनों (90 दिन के अतिरिक्त रियायती काल के साथ) के भीतर कार्रवाई की जा सकती है, यदि 75 प्रतिशत कर्जदाता सहमत हों।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

01 पूना समझौता के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा करते हुए यह बातएं कि यह समझौता दलितों के सामाजिक स्थिति को किस हद तक प्रभावित किया?

02 मूल्यहीन शिक्षा मनुष्य की केवल स्वार्थपूर्ती तक सीमित होती है। चर्चा करें

03 हाल ही में विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस मनाया गया। वर्तमान युग में मानव तस्करी मानव मूल्य का एक स्याह पक्ष है। चर्चा करें।

04 हाल के वर्षों में युवाओं में आत्महत्या की घटनायें तेजी से बढ़ी हैं। आत्महत्या के कारणों का उल्लेख करें।

05 'पीएम–स्वनिधि' योजना क्या है? यह योजना छोटे कारोबारियों के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा सकती है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

06 भारत एक कृषि प्रधान देश है। कोविड–19 महामारी ने भारतीय कृषि प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित किया है? व्याख्या करें।

07 मुद्रास्फीति क्या है? अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 'मुद्रास्फीति किस प्रकार सहायक हो सकती हैं? विश्लेषण करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

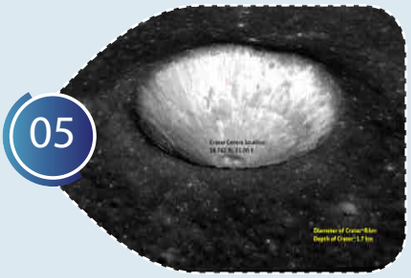

01 कमला हैरिस कौन हैं?

संयुक्त राज्य अमेरिका की एक सिनेटर

02 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को किसके द्वारा नामित (designate) किया गया था?

संयुक्त राष्ट्र संघ

03 हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है?

रूस

04 विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 किससे संबंधित है?

कर सुधार

05 हाल ही में, इसरो ने डॉ विक्रम साराभाई के नाम पर एक क्रेटर (crater) को 'साराभाई क्रेटर' नाम दिया है। 'साराभाई क्रेटर' कहाँ स्थित है?

चंद्रमा

06 किस मंत्रालय ने 'आयुष फॉर इम्युनिटी' (Ayush for Immunity) पर तीन महीने का अभियान शुरू किया है?

आयुष मंत्रालय

07 बीसीसीआई की भ्रष्टाचार-रोधी इकाई (एसीयू) का प्रमुख कौन है?

अजीत सिंह

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

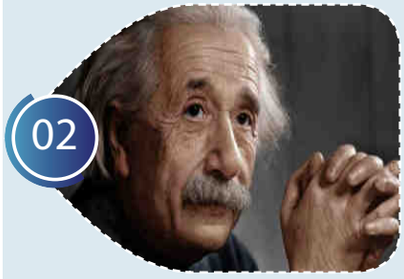

02

04

06

01 शिक्षा का मकसद है एक खाली दिमाग को खुले दिमाग में परिवर्तित करना

मैल्कम फोर्ब्स

02 बिना स्वास्थ्य जीवन, जीवन नहीं होता, बल्कि यह दुःखों और आलस्य की अवस्था होती है।

अल्बर्ट आइंस्टीन

03 हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहाँ से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का जन्म होता है।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन

04 स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है, जितना प्रकाश अँधेरे से।

प्रेमचंद

05 आप कभी फेल नहीं होते, जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते।

अल्बर्ट आइंस्टीन

06 अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है।

दयानन्द सरस्वती

07 जब सबसे अच्छी चीजो में भ्रष्टाचार होता है, तभी सबसे ज्यादा बुरी चीजें पैदा होती है।

डेविड ह्यूम

ध्येय IAS
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the Institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

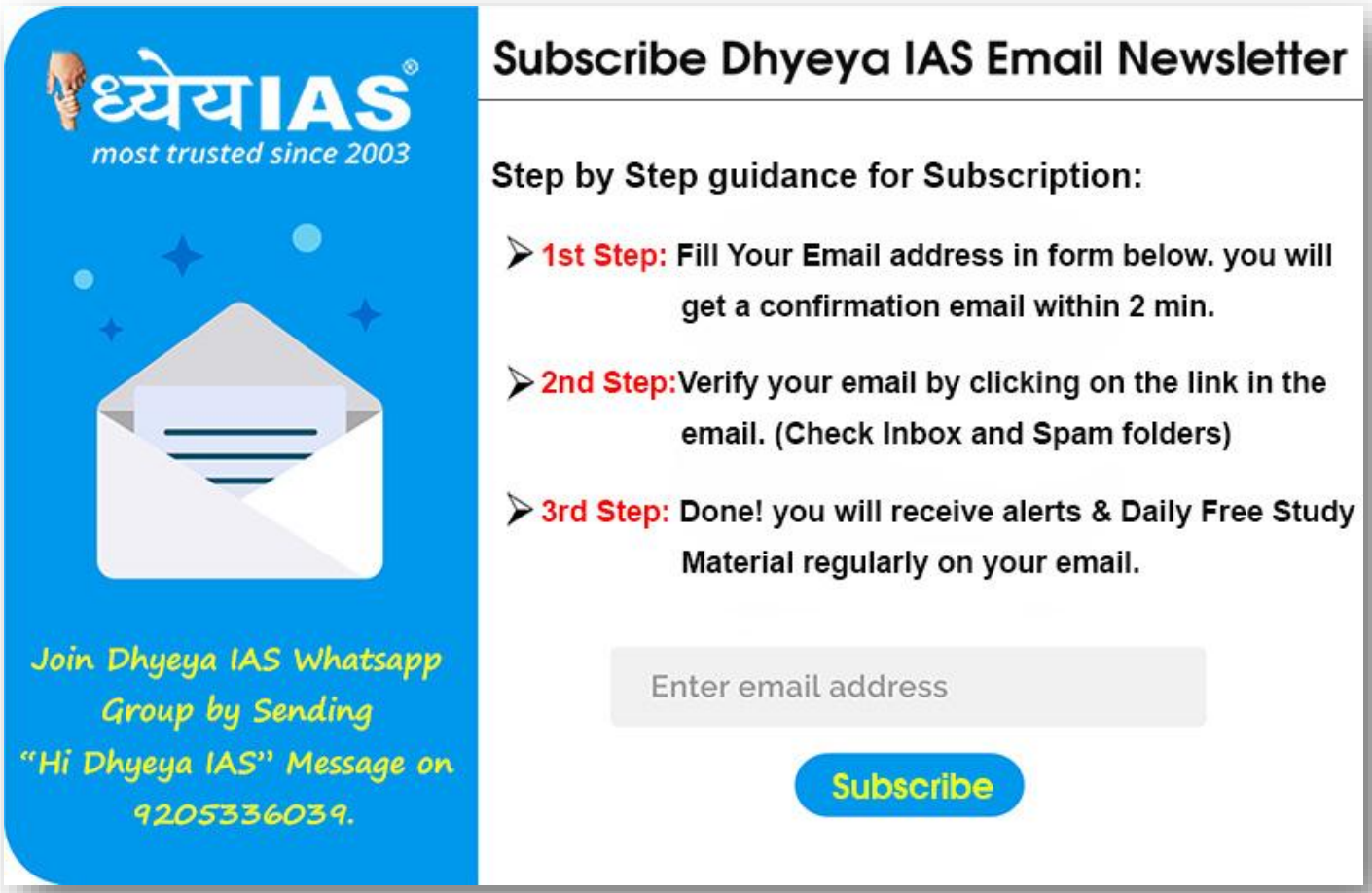

ध्येय IAS
most trusted since 2003
Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: **9205962002**
9506256789

Whatsapp:
9205274741

Visit:
dhyeyaias.com